वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से

05.10.2020 को 2.00 बजे आयोजित

बोर्ड की 39वीं बैठक के लिए

कार्यसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 39वीं बैठक के लिए कार्यसूची मदें

मद सं.		कार्यसूची	पृष्ठ सं.
1.		13.09.19 को आयोजित बोर्ड की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	1
2.		13.09.19 को आयोजित बोर्ड की 38वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट	2-14
3.		क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) के लिए तैयारी	15-22
	3.1	आरपी- 2041 के लिए आयोजित हितधारक संगोष्ठी एवं कार्यशालाएं	15-16
	3.2	आरपी-2041 के लिए मूल सलाहकार समिति	17
	3.3	प्रारूप क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने की स्थिति	18-22
4.		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा की स्थिति	23-24
5.		सदृश समान यातायात करार की स्थिति	25-29
6.		उप-क्षेत्रीय योजनाओं पर विचार	30-31
	6.1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021	30
	6.2	उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021	31
7.		जनसंख्या घनत्व पर नोटिस की स्थिति	32-36
8.		प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र पर अधिसूचनाओं की स्थिति	37-41
9.		पिछली बैठक में माननीय अध्यक्ष, एनसीआरपीबी के मार्गदर्शन के अनुसार चर्चा हेतु कार्यसूची मुद्दे	42-43
	9.1	दिल्ली यमुना नदी के स्वच्छ जल की प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम	42-43
	9.2	क्षेत्रीय योजना-2041 के लिए सुझाव	43
	9.3	अन्य मुद्दे, यदि कोई हों	43
10.		सांविधिक उपबंधों से संबंधित मदों का अनुमोदन	44-52
	10.1	वित्त वर्ष 2018-19/2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित/गैर-परीक्षित वार्षिक लेखे	44-45
	10.2	एनसीआरपीबी नियमों, 1985 के नियम 47 (1) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा वितरित किए गए बकाया ऋणों और अग्रिमों का वार्षिक विवरण	46-48
	10.3	एनसीआरपीबी नियमों, 1985 के नियम 47 (2) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए बकाया ऋणों और अग्रिमों का वार्षिक विवरण	49-50
	10.4	एनसीआरपीबी नियमों, 1985 के नियम 29 के अनुसार "राजस्व और पूंजी" के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आकलन और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आकलनों का अनुमोदन	51-52

कार्यसूची मद सं. 1: दिनांक 13.09.2019 को आयोजित बोर्ड की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

1.1 अध्यक्ष, एनसीआरपीबी के अपेक्षित अनुमोदनों के पश्चात एनसीआर योजना बोर्ड के सदस्यों को दिनांक 22.11.2019 की पत्र सं. के-14011/1/2018 (38वीं बीएम)/एनसीआरपीबी के माध्यम से दिनांक 13.09.2019 को एनसीआर योजना बोर्ड की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त परिचालित किए गए| कार्यवृत्त की प्रति **अनुबंध-1/I** में संलग्न है|

1.2 कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है तदनुसार, 38वीं बैठक के कार्यवृत्त पुष्टि के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हैं|

प्रस्ताव:

एनसीआर योजना बोर्ड की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए|

कार्यसूची मद सं. 2: दिनांक 13.09.19 को आयोजित एनसीआर योजना बोर्ड की 38वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई|

एनसीआर योजना बोर्ड की 38वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्यसूची मद/निर्णय	की गई कार्रवाई
1.	**कार्यसूची मद सं. 1: दिनांक 04.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि** हरियाणा द्वारा दिए गए सुझावों को पूर्ण रूप से शामिल करते हुए कार्यसूची में यथाप्रस्तावित कार्यवृत्त के परिशिष्ट का अनुमोदन किया गया है|	बोर्ड की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त का परिशिष्ट दिनांक 28.11.2019 के पत्र के माध्यम से जारी किय गया है| **प्रस्ताव:**: **यह मामला सूचनार्थ प्रस्तुत है|**
2.	**कार्यसूची मद सं. 2: दिनांक 04.12.2017 को आयोजित एनसीआर योजना बोर्ड की 37वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई |** **कार्यसूची मद सं. 20: एनसीआरपीबी को स्मार्ट सिटी की सहायतार्थ एक साधन बनाने के लिए प्रस्ताव|** चर्चाओं के दौरान यह इंगित किया गया था कि एनसीआरपीबी उसी समान स्वरूप पर स्मार्ट सिटी का वित्तपोषण कर सकता है जिस पर मौजूदा रूप से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वित्तपोषण किया जा रहा है| इसके अतिरिक्त निम्नतर दरों पर कुछ अग्रिम राशि दी जा सकती है जो कि अन्यथा उपलब्ध है क्योंकि एनसीआरपीबी का रिकॉर्ड एक अच्छे ऋण वापस करने वाले का है| हालांकि यह एनसीआर क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं जा सकता| अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद: यह नोट किया गया है कि एनसीआरपीबी ने **कॉफी टेबल बुक** को तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है जिसका विमोचन बोर्ड की अगली बैठक में अथवा अध्यक्ष,	**यह मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया जा रहा है|** कॉफी टेबल बुक के प्रकाशन से संबंधित कार्य रद्द कर दिया गया है और उसे वापस ले लिया गया है|

	एनसीआरपीबी की सुविधानुसार उससे पहले भी किया जा सकता है| ***बची हुई कार्यसूची मदें एनसीआर योजना बोर्ड की 38वीं बैठक की मुख्य कार्यसूची मदों में सूचनार्थ और / अथवा निपटाए जाने के लिए रखी गई थीं|***	**प्रस्ताव:** **यह मामला सूचनार्थ प्रस्तुत है|**
3.	**कार्यसूची मद सं. 3: माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा द्वारा उनके दिनांक 30.08.2018 के पत्र में उठाए गए मामले|** *'कृषि' को एनसीज़ेड में अनुमत्य गतिविधियों से बाहर रखना* • बोर्ड ने यह अनुमोदित किया कि अधिसूचित क्षेत्रीय परियोजना (आरपी) 2021 के अनुसार 'कृषि' एनसीज़ेड में अनुमत्य गतिविधियों का भाग बनी रहेगी| *एनसीज़ेड क्षेत्रीकरण विनियमन का पर्यावरण अनुकूल राजकीय नीतियों के साथ अनुकूलन* • बोर्ड ने निर्णय लिया कि क्षेत्रीय योजना आरपी-2021 के अनुसार एनसीज़ेड की अनुमत्य गतिविधियों में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है| *एनसीआर सेल हरियाणा को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में अनुमोदन:* • बोर्ड ने सहमति व्यक्त की कि मौजूदा रूप से किसी अतिरिक्त पद की आवश्यकता नहीं है|	निर्णयों से अवगत कराया गया और कोई अगली कार्रवाई अपेक्षित नहीं है| **प्रस्ताव:** **यह मामला सूचनार्थ प्रस्तुत है|**
4.	**कार्यसूची मद सं. 4: एनसीआर के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 पर विचार** • बोर्ड ने एनसीआर के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के प्रारूप परिशिष्ट पर 'आपत्ति और सुझाव' आमंत्रित करने के संबंध में कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की| • बोर्ड ने आरपी एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 13 के तहत प्रकाशन और	क्षेत्रीय योजाना 2021 के अनुमोदित परिशिष्ट को 28 नवम्बर, 2019 को अधिसूचित किया गया और उसे 30 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया| उक्त योजना को व्यापक परिचालन के लिए एनसीआरपीबी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया|

	अधिसूचना के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 के परिशिष्ट को अनुमोदित किया और उस पर अपनी सहमति प्रदान की|	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है| **प्रस्ताव:** **यह मामला सूचनार्थ प्रस्तुत है|**
5.	**कार्यसूची मद सं. 5: नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021 पर विचार|** **कार्यसूची मद सं. 5.1: नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए हरियाणा उप-क्षेत्र हेतु प्रारूप उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी)-2021** • हरियाणा द्वारा एनसीज़ेड के विस्तृत निरूपण और करनाल और कैथल के संबंध में टिप्पणी के अनुपालन के अध्यधीन एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 19(2) के अनुसार उप-क्षेत्रीय योजना पर विचार किया गया (38वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची का अनुबंध-5/III)| हरियाणा सरकार टिप्पणी पर समुचित विचार के उपरांत तदनुसार नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए एसआरपी 2021 को अंतिम रूप देगी और उसे प्रकाशित करेगी| एनसीज़ेड हरियाणा द्वारा एनसीज़ेड का निरुपण दिसम्बर 2019 तक किया जाएगा और तदनुसार एसआरपी संशोधित किया जाएगा| • बोर्ड ने हरियाणा के लिए सितम्बर 2019 तक एसआरपी तैयार करने के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु समय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की|	बोर्ड के निर्णय इस अनुरोध के साथ दिनांक 28.11.2019 के पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार को सूचित किए गए कि वे एनसीआरपीबी अधिनियम की धारा 19(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे और विस्तारित हरियाणा उप-क्षेत्र के लिए अंतिम उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) - 2021 की प्रति प्रदान करेंगे| चूंकि इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है अत: दिनांक 12.02.2020 को एक अनुस्मारक भेजा गया| इस मामले को दिनांक 16.03.2020 को आयोजित 68वीं योजना समिति में भी उठाया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एसआरपी पर शीघ्र कार्रवाई पूरी की जाए और हरियाणा सरकार एसआरपी की तैयारी के लिए होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए समय को पुन: बढ़ाने का अनुरोध करना चाहेगी क्योंकि उसे हरियाणा के लिए केवल सितम्बर 2019 तक ही संशोधित किया गया था| चूंकि कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत: दिनांक 23.06.2020 और 02.09.2020 को अनुस्मारक भेजे गए हैं| **हरियाणा सरकार द्वारा बोर्ड को जानकारी प्रदान की जाए|**

6.	**कार्यसूची मद सं. 5.2: एनसीआर-2021 के विस्तारित राजस्थान उप-क्षेत्र के लिए प्रारूप उप - क्षेत्रीय योजना पर विचार** • राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई राजस्थान के उप-क्षेत्र के नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए प्रारूप उप क्षेत्रीय योजना 2021 पर एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 कर धारा 19(2) के अनुरूप बोर्ड द्वारा विचार किया गया| राजस्थान सरकार तदनुसार नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए एसआरपी 2021 का प्रकाशन करेगी| • बोर्ड ने राजस्थान के लिए अगस्त 2019 तक एसआरपी तैयार करने के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु समय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की|	बोर्ड के निर्णय इस अनुरोध के साथ दिनांक 29.11.2019 के पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार को सूचित किए गए कि वे एनसीआरपीबी अधिनियम की धारा 19(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे और नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए अंतिम उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) - 2021 की प्रति प्रदान करेंगे| चूंकि इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत: दिनांक 12.02.2020 को एक अनुस्मारक भेजा गया| इस मामले को 68वीं योजना समिति में दोबारा उठाया गया जिसमें सीटीपी, एनसीआर सेल, राजस्थान द्वारा यह सूचित किया गया कि एसआरपी 2021 को 18.02.2020 को अधिसूचित किया गया था किंतु प्रारूप एसआरपी को अंतिम रूप देते समय कुछ लघु तथ्यात्मक त्रुटियों और भरतपुर जिले के विभिन्न हितधारकों/संगठनों और सीई एवं आरसी की बैठकों में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों के कारणवश इसमें एक अनुबंध जोड़ा गया था| योजना समिति ने सुझाव दिया कि यदि बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के उपरांत एसआरपी में कोई संशोधन होता है तो ऊसे बोर्ड के समक्ष दोबारा रखना होगा| राजस्थान सरकार एक तर्कसंगत प्रस्ताव भेजना चाहेगी और वह एसआरपी तैयार करने के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु समय बढ़ाने का अनुरोध भी करना चाहेगी क्योंकि उसका अनुमोदन राजस्थान के

		लिए केवल अगस्त 2019 तक के लिए किया गया है| **उपर्युक्त मामले पर दिनांक 15.06.2020 के माध्यम से फरवरी 2020 तक एसआरपी तैयार करने के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध सहित राजस्थान सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है (अनुबंध: 2/I)|** **प्रस्ताव:** **यह मामला बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है|**
7.	**कार्यसूची मद सं. 5.3: नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र हेतु उप-क्षेत्रीय योजना-2021 की स्थिति** • बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया यह आश्वासन नोट किया कि उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में नए जोड़े गए जिलों के लिए एसआरपी तैयार किया जाएगा और उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा| • अध्यक्ष ने कहा कि सभी राज्यों (*दिल्ली और उत्तर प्रदेश)* को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे *दिसम्बर, 2019 तक* अगले 3 महीनों के भीतर भावी परिदृश्य (होराइज़न) 2021 के साथ अपने लंबित एसआरपी प्रस्तुत करें|	**यह मामला कार्यसूची मद संख्या 6.2 के तौर पर अलग से प्रस्तुत किया गया है|**
8.	**कार्यसूची मद सं. 6: दिल्ली के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021 की स्थिति** • उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सूचित किया कि एसआरपी 2021 पर कार्य आरंभ हो चुका है और उसे दिसम्बर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा| • अध्यक्ष ने कहा कि सभी राज्यों (*दिल्ली और उत्तर प्रदेश)* को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे *दिसम्बर, 2019 तक* अगले 3 महीनों के भीतर	**यह मामला कार्यसूची मद संख्या 6.1 के तौर पर अलग से प्रस्तुत किया गया है|**

	भावी परिदृश्य (होराइज़न) 2021 के साथ अपने लंबित एसआरपी प्रस्तुत करें|	
9.	**कार्यसूची मद सं. 7: हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंध में मास्टर योजनाओं/विकासात्मक योजनाओं का जनसंख्या घनत्व एवं आरपी-2021 का घनत्व मानदंड और एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 का धारा 29(2) के तहत जारी अधिसूचनाएं|** अध्यक्ष ने सलाह दी कि पहले से जारी घनत्व अधिसूचनाओं के लिए एनसीआरपीबी द्वारा समाधान निकाला जाए जिसमें राज्य न्यायालय के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित उत्तर दें और जिसमें क्षेत्रीय योजना में सुझाए गए घनत्व मानदंडों को हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों/उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों के बारे में उल्लेख हो| तदनुसार राज्यों द्वारा 2021 में अंतरिम उपलब्धियों के साथ वर्गीकृत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता हो सकती है| **तदनुसार, बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-** • एनसीआरपीबी जनसंख्या घनत्व के संबंध में अधिसूचनाओं से संबंधित मामलों के समाधान हेतु राज्यों के साथ निकटता के साथ कार्य कर सकता है|	**यह मामला कार्यसूची मद संख्या 7 के तौर पर अलग से प्रस्तुत किया गया है|**
10.	**कार्यसूची मद सं. 8: जारी अन्य अधिसूचनाएं: उ.प्र. उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी)-2021 के क्षेत्रीकरण विनियमनों के गैर-अनुपालन के लिए एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29(2) के तहत जारी अधिसूचना** • बोर्ड ने इस मामले का निर्णय न्यायालय के अधीन होने के अध्यधीन नोटिस नहीं देने के विकल्प पर चर्चा की| हालांकि, विचार विमर्श के उपरांत बोर्ड ने यह निर्देश दिया कि उ.प्र. सरकार के	एनसीआरपीबी ने अपने दिनांक 12.02.2020 के पत्र के माध्यम से उ.प्र. सरकार से इस मामले का समाधान करने का अनुरोध किया है| एनसीआर सेल ने दिनांक 05.03.2020 को उ.प्र. सरकार को

	संबंधित अधिकारी एनसीआरपीबी के साथ बैठक करें ताकि मामले का यथा शीघ्र समाधान हो|	उ.प्र. उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी)-2021 के क्षेत्रीकरण विनियमन में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है (**अनुबंध-2/II**)| चूंकि उ.प्र. सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत: 26.06.2020 और 02.09.2020 को अनुस्मारक भेजे गए| **उत्तर प्रदेश सरकार बोर्ड को सूचित करे|**
11.	**कार्यसूची मद सं. 9: एनसीज़ेड का निरूपण और भूमि का वास्तविक निरीक्षण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एनसीज़ेड के संबंध में एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29(2) के तहत जारी नोटिस|** • एनसीटी दिल्ली के लिए उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने कहा कि चूंकि दिल्ली के लिए एसआरपी 2021 3 महीने में अपेक्षित है अत: यह उम्मीद की जाती है कि यह एनसीज़ेड निरुपण विवरणों के साथ होगा| • राजस्थान के लिए प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवासन, राजस्थान सरकार ने उल्लेख किया कि अलवर जिले के लिए भूमि का वास्तविक निरीक्षण कार्य पहले से आरंभ हो गया है और एनसीज़ेड निरुपण के संबंध में एसआरपी का अद्यतनीकरण 3 महीने भीतर कर लिया जाएगा| • खादी और ग्राम उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर उ.प्र. उप-क्षेत्र के लिए एनसीज़ेड की स्थिति के संबंध में उ.प्र. के लिए एसआरपी में दिए गए एनसीज़ेड क्षेत्र के आंकड़ों पर विचार किया गया और उन्हें बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई| • हरियाणा के संबंध में उपर्युक्त	**यह मामला कार्यसूची मद संख्या 8 के तौर पर अलग से प्रस्तुत किया गया है|**

	कार्यसूची मद सं. 5.1 में दिए गए के अनुसार विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत बोर्ड ने निर्णय लिया कि सचिव, आवासन एवं शहरी मामले के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाए जो 3 सप्ताहों के भीतर एनसीज़ेड हरियाणा के मामलों की जांच करेगी| अध्यक्ष ने यह बात दोहराई कि जैसे कि पहले अनुदेश दिए गए हैं, हरियाणा सरकार को अपने राजस्व रिकॉर्ड सहित एनसीज़ेड की भूमि का वास्तविक निरीक्षण कराना था और तदनुसार एनसीज़ेड क्षेत्रों को अंतिम रूप देना था| इस संबंध में, हरियाणा सरकार यथाशीघ्र अपनी राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर सकती है और समिति के समक्ष एसएससी की रिपोर्ट आगे की जांच के लिए सचिव, आवासन और शहरी मामले की अध्यक्षता वाली समिति से पूर्व प्रस्तुत कर सकती है|	
12.	**कार्यसूची मद सं. 9.5: अन्य एनसीज़ेड संबंधी मुद्दे** बोर्ड ने निर्णय लिया कि डीआरआरपी का प्रकाशन नहीं किया जाएगा क्योंकि संदर्श वर्ष 2021 निकट है|	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|
13.	**कार्यसूची मद सं. 10: वाईईआईडीए (YEIDA) से संबंधित मामला** **यह मामला आस्थगित कर दिया गया|**	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|
14.	**कार्यसूची मद सं.11: एनसीआर के काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों से संबंधित मामला** बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:- • सीएमए के तौर पर पटियाला - राजपुरा गलियारे के चयन के लिए पंजाब सरकार का प्रस्ताव| • इन क्षेत्रों के प्रभावी विकास हेतु सभी सीएमए के लिए तैयार की जाने वाली कार्रवाई योजना	दिनांक 29.11.2019 के पत्र के माध्यम से सीएमए क्षेत्र की अधिसूचना के लिए आवासन और शहरी विकास विभाग, पंजाब सरकार को बोर्ड के निर्णयों से अवगत कराया गया| बोर्ड के निर्णयों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को इस अनुरोध के साथ अवगत कराया गया

	• एनसीआरपीबी एनसीआर में फास्ट ट्रैक रेल लाइनों/संपर्कों के संबंध में और संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ उसके सीएमए को जोड़ने वालों के मामले को उठाएगा|	कि वे सीएमए के विकास के लिए कार्रवाई योजना तैयार करेंगे और इस मामले में स्थिति से अवगत कराएंगे| हालांकि, जयपुर विकास प्राधिकरण को छोड़कर किसी भी संबंधित सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है| दिनांक 12.02.2020 को अनुस्मारक भेजा गया| तदुपरांत, कोटा और पटियाला सीएमए के विकास के लिए कार्रवाई योजना प्राप्त हो गई है| उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 26.06.2020 और 02.09.2020 को तथा हरियाणा सरकार को 22.06.2020 और 02.09.2020 को और अनुस्मारक भेजे गए| **हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर सीएमए के प्रतिनिधि बोर्ड को अवगत कराएं|** फास्ट ट्रैक रेल लाईनों/संपर्कों के संबंध में एनसीआरपीबी ने दिनांक 19.12.2019 के पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड से यह अनुरोध किया कि वे एनसीआर में और एनसीआर को 9 सीएमए से जोड़ने वाले सभी रेल ट्रैकों/खण्डों की मौजूदा/नियोजित स्थिति से अवगत कराएं| इसके प्रत्युत्तर में, निदेशक/एमटीपी, रेलवे बोर्ड ने अपने दिनांक 30.01.2020 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि एनसीआर में और एनसीआर के साथ 9 सीएमए को जोड़ने वाले रेल ट्रैक/खण्ड फास्ट ट्रैक हैं| हालांकि, दिनांक 07.02.2020 की ई-मेल के माध्यम से एनसीआर में फास्ट रेल ट्रैकों की योजनाओं/मानचित्रों/लेआउट के साथ पूरी सूची का अनुरोध किया गया है|

15.	**कार्यसूची मद सं. 12: क्षेत्रीय योजना 2041 को तैयार करना** **कार्यसूची मद सं. 12.1: एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा की स्थिति** • बोर्ड ने आरपी-2021 के संबंध में अध्ययन दलों की अंतिम समीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया और उन्हें आर.पी. - 2041 के लिए एक इनपुट के तौर पर अनुमोदित किया| **कार्यसूची मद सं. 12.2: क्षेत्रीय योजना 2041 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण** • एनसीआर 2041 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण पर रिपोर्ट की सिफारिशें अनुमोदित की गईं और यह निर्णय लिया गया कि जनसंख्या रिपोर्ट के प्रक्षेपणों पर आरपी-2041 तैयार करने के लिए एक इनपुट के तौर पर विचार किया जाएगा|	नोट किया और आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है| नोट किया और आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|
16.	**कार्यसूची मद सं. 12.4: क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु मौजूदा भूमि प्रयोग डेटाबेस तैयार करने पर एनआरएससी का प्रस्ताव|** बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया कि: • क्षेत्रीय योजना में अस्थायी विवरणों सहित मानचित्र आधारित उपग्रह छवि होनी आवश्यक नहीं है इसमें विस्तृत नीतियों और प्रस्तावों को प्रदर्शित करने वाले समाकारीय मानचित्र हो सकते हैं| • भूमि के वास्तविक निरीक्षण और विस्तृत नियोजन सहित 1:10,000 और उसके नीचे के माप पर मानचित्रों का विस्तृत वर्णन उप क्षेत्रीय योजनाओं और मास्टर योजनाओं के माध्यम से राज्यों पर छोड़ देना चाहिए|	क्षेत्रीय योजना-2041 के लिए नोट किया और आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|

17.	**कार्यसूची मद सं. 12.5: क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) कार्यों के लिए आंकड़ा संग्रहण की स्थिति** राज्यों को कार्यसूची में सुझाई गई आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था अर्थात सभी अपेक्षित आंकड़े 30 सितम्बर, 2019 तक प्रदान किए जाने थे|	एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का प्रयोग सभी क्षेत्रों के दृष्टिकोण पत्रों को तैयार करने में किया गया है| हालांकि क्षेत्रीय योजना-2041 के प्रारूप अध्यायों को तैयार करने के दौरान आंकड़ों में कुछ अंतर संज्ञान में आया था एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों से उन्हें प्रदान करने का अनुरोध किया गया है| **प्रस्ताव:** **यह मामला सूचनार्थ प्रस्तुत है|**
18.	**कार्यसूची मद सं. 18: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का निरुपण** • अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट में सुझाए गए विकल्पों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों को आमंत्रित करते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए| तत्पश्चात अगली बोर्ड बैठक में इसकी स्थिति को प्रस्तुत किया जाए|	दिनांक 17.01.2020 एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों और हितधारकों को आमंत्रित किया गया| **अनुपालन किया गया.** **इस मामले पर कार्यसूची मद सं. 4 के तौर पर अलग से चर्चा की जा रही है|**
19.	**कार्यसूची मद सं. 19: सांविधिक प्रावधानों के संबंध में मदों का अनुमोदन** **कार्यसूची मद सं. 19.1.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे** • बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संसद के दोनों सदनों में वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया| **कार्यसूची मद सं. 19.1.2: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे**	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे दिनांक 27.12.2018 (राज्य सभा) और दिनांक 04.01.2019 को (लोक सभा) में प्रस्तुत किए गए| आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है| वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे दिनांक 13.12.2019 (राज्य सभा) और

	• बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया|	दिनांक 12.12.2019 को (लोक सभा) में प्रस्तुत किए गए| आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|
	कार्यसूची मद सं.19.2: एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 47 (1) के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड द्वारा वितरित बकाया ऋणों और अग्रिमों का वार्षिक विवरण| • कार्यसूची मद में निहित सूचना को संज्ञान में लिया गया|	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|
	कार्यसूची मद सं.19.3: एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 47 (2) के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त बकाया ऋणों/अग्रिमों का वार्षिक विवरण| • कार्यसूची मद में निहित सूचना को संज्ञान में लिया गया|	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|
	कार्यसूची मद सं.19.4: एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 29 के अनुसार "राजस्व और पूंजी" शीर्षों के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट आकलन और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आकलनों का अनुमोदन • बोर्ड ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आकलन और वर्ष 2019-20 के लिए बजट आकलनों दोनों को पूंजी और राजस्व शीर्षों के तहत अनुमोदित कर दिया| इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी को बॉन्डों, वाणिज्यिक पेपर और/अथवा बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता एजेंसियों से ऋण लेने के माध्यम से एनसीआरपीबी के संसाधन जुटाने के कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया|	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है|

	सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी इस संबंध में लिए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न अनुमोदनों/औपचारिकताओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए भी प्राधिकृत हैं|	
20.	**कार्यसूची मद सं. 19.5: एनसीआर योजना बोर्ड में विधि अधिकारी, सहायक निदेशक, (वित्त), सहायक निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और सहायक निदेशक (सुरक्षोपाय) के पद के लिए भर्ती विनियमन** • इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और कार्यसूची के 19.5.3 (विधि अधिकारी और सहायक निदेशक (वित्त) के संबंध में) और 19.5.5 (सहायक निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और सहायक निदेशक (सुरक्षोपाय) के संबंध में) यथाइंगित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया|	विधि अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम तथा सहायक निदेशक (वित्त) के पद के लिए भर्ती विनियम (संशोधन) को दिनांक 13.03.2020 को भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है| विधि अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जारी है| सहायक निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और सहायक निदेशक (सुरक्षोपाय) के लिए भर्ती विनियम दिनांक 10.07.2019 के पत्र के माध्यम से अनुमोदनार्थ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजे गए थे और इसके बाद 29.08.2019 को स्पष्टीकरण भेजे गए थे| अनुस्मारक 05.12.2019, 06.03.2020 और 03.06.2020 को भेजा गया इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से भेजे गए उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं| आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का अनुमोदन प्रतीक्षित है| अधिसूचना और इन दोनों पदों को भरने की प्रक्रिया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों के अनुमोदन के पश्चात आरंभ की जाएगी| **यह मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष उठाया जा रहा है|**

कार्यसूची मद सं. 3: क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) के लिए तैयारी

3.1 आरपी- 2041 को तैयार करने के लिए आयोजित हितधारक संगोष्ठी एवं कार्यशालाएं

3.1.1 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 2028 तक तोक्यो को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा मैट्रोपोलिस बनने की ओर अग्रसर है| अत: अगले दशकों के लिए दिल्ली -एनसीआर हेतु क्षेत्रीय योजना-2041 इस ग्रह पर इस सबसे सामंजस्यपूर्ण विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु मुख्य साधनों में से एक होगी| क्षेत्रीय योजना-2041 को 2021 तक अधिसूचित किया जाना है| विस्तृत और विविध क्षेत्र के नियोजन के बृहद कार्य और इसे भविष्य के लिए तैयार करने का कार्य सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सहित समावेशी, परामर्शी प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो सकता है|

3.1.2 तदनुसार, क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने के लिए श्रृंखलागत चर्चाएं और संवाद आरंभ किए गए| सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में **"इनॉगरल कॉन्क्लेव ऑन एनसीआर-2041-प्लानिंग फॉर टुमॉरोज़ ग्रेटेस्ट कैपिटल रीजन"** का आयोजन 11 नवम्बर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया| इस संगोष्ठ में सभी एनसीआर राज्यों, भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों, नॉलेज संस्थानों, उद्योग आवास संघों, विशेषज्ञों, जिलों से फील्ड अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भागीदारी की| श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस अवसर की गरिमा बढ़ाई|

3.1.3 सक्रिय भागीदारी वाली पहली संगोष्ठी की सफलता के बाद एनसीआरपीबी ने उन संभावित क्षेत्रों और विषयों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से अनेक चर्चाएं और संवाद आयोजित किए जिन्हें क्षेत्रीय योजना 2041 को तैयार करने के तहत उठाया जा सकता था| पूर्ण दिवसीय कार्यशाला में भी सभी एनसीआर राज्यों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नॉलेज संस्थानों, उद्योग आवास संघों, विशेषज्ञों, जिलों से फील्ड अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भागीदारी की| आवश्यकतानुसार बाद में और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है| सभी 17 कार्यशालाओं के संक्षिप्त कार्यवृत का सार **अनुबंध - 3.1/I** में है|

3.1.4 इन कार्यशालाओं को यथोचित महत्व दिया गया क्योंकि एनसीआर आगामी दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वाला और शहरीकृत क्षेत्र होगा और क्षेत्रीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में एक समावेशी दृष्टिकोण एक समुचित मार्ग है| अगली क्षेत्रीय योजना में जीवन की गुणवत्ता, जीने और व्यापार करने की आसानी और समग्र रूप से एनसीआर के सामंजस्यपूर्ण विकास हासिल करने के पक्षों का समाधान निहित होना चाहिए| इसे विशेष रूप से एनसीआर में रहने वालों की आकांक्षाओं को समावेश करते हुए नागरिक उन्मुख होना चाहिए|

3.1.5 चूंकि यह क्षेत्रीय योजना है अत: इन कार्यशालाओं में संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों की सक्रिय भागीदारी भी अपेक्षित थी| यह सुझाव दिया गया कि उन्हें कार्यशालाओं के दौरान और समग्र, सार्थक, सर्व-समावेशी वार्ताओं के लिए अपने क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक परामर्श करने की सलाह भी दी जा सकती है क्योंकि इस विषय मंथन से योजना क्रियान्वयन के

दौरान काफी समय बचेगा| आरंभ में भाग लेने वाले एनसीआर राज्यों से कार्यशाला में भाग लेने से पूर्व समुचित विषय मंथन सत्रों का अनुरोध भी किया गया|

3.1.6 एनसीआर राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में उनके समय और सुविधानुसार फरवरी, 2020 में उप-क्षेत्र वार संगोष्ठियों के आयोजन करने की योजना भी बनाई गई जिसमें संबंधित राज्यों के सभी हितधारकों को बुलाया जा सकता था| राज्यों से बार बार अनुरोध किया गया किंतु अब तक किसी राज्य द्वारा समय/तारीख इंगित नहीं की गई है|

3.1.7 बोर्ड सचिवालय प्रत्येक कार्यशाला के लिए संबंधित विभागों से वरिष्ठतम अधिकर्मियों की भागीदारी के लिए निर्देश जारी करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता है| कार्यशाला वार कार्यसूची और व्याख्याताओं सहित कार्यशाला अनुसूची की प्रति अनुबंध **अनुबंध-3.1/II** में संलग्न है|

3.1.8 यह मामला 68वीं योजना समिति में दोबारा उठाया गया जिसमें विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जबकि राज्य क्षेत्रीय योजना-2041 के लिए अपने और सुझाव/टिप्पणियां दे सकते हैं तथापि उप-क्षेत्रीय वार संभवत: आवश्यक नहीं हैं जिसके कारणों में समय बाध्यताएं राज्यों की विस्तृत टिप्पणियां और एनसीआर राज्यों के लिए समर्पित सत्र सहित कार्यशालाओं के दौरान और विभिन्न हितधारकों की विस्तृत संलग्नता और कोरोना महामारी का उभरता हुआ मुद्दा है जिसमें सभी के द्वारा आवश्यक सावधानी बरती जानी अपेक्षित है|

प्रस्ताव:

यह मामला बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है|

3.2 आरपी-2041 के लिए मूल सलाहकार समिति

3.2.1. दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित "इनॉगरल कॉन्क्लेव ऑन एनसीआर-2041-प्लानिंग फॉर टुमॉरोज़ ग्रेटेस्ट कैपिटल रीजन" के साथ भावी परिदृश्य (होराइज़न) वर्ष, 2041 के लिए अगली क्षेत्रीय योजना को तैयार करने के संबंध में गतिविधियां/प्रक्रिया आरंभ करने के उपरांत एनसीआरपीबी ने विभिन्न क्षेत्रों पर दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 के दौरान अनेक कार्यशालाओं का आयोजन जारी रखा|

3.2.2 हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी के समन्वयन और अनुवीक्षण हेतु दिनांक 04.12.2019 की कार्यालय ज्ञापन संख्या के-14011/24/2019-एनसीआरपीबी (खण्ड I) दिनांक 04.12.2019 के माध्यम से क्षेत्रीय योजना-2041 के लिए एक मूल सलाहकार समिति का गठन किया गया है|

3.2.3 मूल सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार है: सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (अथवा उनके नामिती); एनसीआर राज्यों के 4 नोडल प्रधान सचिव; निदेशक, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय; महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई); प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी); महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय; निदेशक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए); कार्यकारी निदेशक, सीआरपी के साथ सदस्यों के तौर पर शहरी और क्षेत्रीय योजना विशेषज्ञ के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी), सदस्य संयोजक के तौर पर एनसीआरपीबी, प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बाद में सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है|

3.2.4 सीएसी ने दिनांक 29.01.2020 और 25.02.2020 को दो बैठकों का आयोजन किया| इन दो बैठकों के कार्यवृत्त क्रमश: **अनुबंध 3.2/I** और **अनुबंध3.2/II** में स्थित हैं| सीएसी की तीसरी बैठक 23.09.2020 को होनी निर्धारित है|

प्रस्ताव:

यह मामला बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है|

3.3 प्रारूप क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने की स्थिति

3.3.1 38वीं बोर्ड बैठक के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा कार्रवाई की सिफारिशों और क्षेत्रीय योजना-2041 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट की सिफारिशों पर क्षेत्रीय योजना-2041 को तैयार करने के लिए एक इनपुट के तौर पर विचार किया जाना था| इसके अतिरिक्त बोर्ड ने गहन मंथन सत्रों और परामर्शों के माध्यम से आरपी-2041 के लिए आधुनिक दृष्टिकोण वाली नीतियों और सिफारिशों पर कार्य करने का निर्देश दिया था| तदनुसार एनसीआरपीबी ने दिनांक 11.11.2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में *"इनॉगरल कॉन्क्लेव ऑन एनसीआर-2041-प्लानिंग फॉर टुमॉरोज़ ग्रेटेस्ट कैपिटल रीजन"* का आयोजन किया| इस कॉन्क्लेव में बहु-मीडिया प्रस्तुति के माध्यम से 7 वैश्विक मैट्रोपोलिटन शहरों की नियोजन पहलों को दर्शाया गया और उन पर प्रकाश डाला गया और उसमें सभी एनसीआर राज्यों, भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों, नॉलेज संस्थानों, उद्योग आवास संघों, विशेषज्ञों, जिलों से फील्ड अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भागीदारी की| श्री डी. एस. मिश्रा, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस अवसर की गरिमा बढ़ाई|

3.3.2 इसके उपरांत, दिसम्बर, 2019 और जनवरी, 2020 के दौरान 17 हितधारक की कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया गया| कार्यशालाओं के विषयों का निर्धारण समुचित विचार विमर्शों और आरपी-2021 के अध्यायों पर विचार करने के उपरांत किया गया क्योंकि वे आरपी-2041 पर अध्यायों पर विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित थे| आरपी-2021 के विषयों के साथ साथ खेल कौशल, सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ग्राम विकास जैसे संगत भविष्य के विषयों को भी जोड़ा गया और उन पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं|

3.3.3 प्रत्येक कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी 4 एनसीआर राज्यों के लिए समर्पित सत्र थे ताकि वे विषय पर अपने विचार रख सकें| कार्यशालाओं में केन्द्र और राज्य सरकार मंत्रालयों, नॉलेज भागीदारों, क्षेत्र विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं इत्यादि के बहुत वरिष्ठ स्तर के प्रतिभागी थे| इनमें से कुछ त्वरित संदर्भ के लिए कार्यशाला वार नीचे सूचीगत हैं|

परिवहन: श्री अमित घोष, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; श्री ए. के. सिंह, प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हरियाणा सरकार; श्री वी. के. सिंह, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम; श्रीमती ऊषा पाधी, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं सीएमडी, पवन हंस लि., श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (संभार-तंत्र), वाणिज्य विभाग, श्री अभिषेक चौधरी, उपाध्यक्ष, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी), श्री अमित कुमार जैन, महाप्रबंधक (प्रचालन), सीआरआईएस, रेलवे बोर्ड; श्री एम. वी. सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक (योजना), डेल्ही इंटरनैशनल एअरपोर्ट लिमिटेड; श्री अभय दामले, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्री गंगवार, सदस्य तकनीकी, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण; डॉ. मंगु सिंह, प्रबंध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल निगम; श्री एस.के. लोहिया, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय रेलवे विकास निगम लिमिटेड; श्री काल सिंह, डीडीजी (टीआरडब्ल्यू), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय|

विद्युत और ऊर्जा: श्री प्रवीण कुमार, विशेष सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; श्री सुधीर कुमार रहते, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय; श्री मृत्युन्जय नारायण, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय; श्री के.वी.एस. बाबा, सीएमडी, पॉवर सिस्टम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीओएसओसीओ); श्री अभय बकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय; श्री सुशांत चटर्जी, अध्यक्ष (विनियामक मामले), केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग; श्री एम. देवराज, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. (यूपीपीसीएल)|

जल और जल निकासी: श्री ए. बी. पंडया, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग (आईसीआईडी); श्री नितेश्वर कुमार, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय; श्री मुरलीधरन, उप सलाहकार, जल जीवन मिशन; श्री निखिल कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड; श्री के. सी. नाइक, अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड; प्रोफेसर अश्विनी कुमार गोसाईं, पूर्व व्याख्याता - आईआईटी दिल्ली; श्री मसूद हुसैन, पूर्व-अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग; श्री ए डी मोहिले, पूर्व-अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग; डॉ. सुशील गुप्ता, पूर्व-अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड; श्री अविनाश मिश्रा, सलाहकार, जल संसाधन, नीति आयोग.

स्वच्छता और समग्र अपशिष्ट प्रबंधन: श्री अरुण बरोका, अपर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय; श्री. वी के जिंदल, संयुक्त सचिव, स्वच्छ भारत अभियान, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; श्रीमती डी तारा, संयुक्त सचिव, एएमआरयूटी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; श्री अजय माथुर, महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान; सुश्री मनीषा सक्सेना, सचिव, शहरी विकास, जीएनसीटी दिल्ली; श्री संजीव गोयल, वरि. प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष, सीएसआईआर एनईईआरआई दिल्ली; सुश्री अलमित्रा पटेल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ; पूर्व. प्रोफेसर सुबीर पॉल, आईआईटी, खड़गपुर|

पर्यावरण और आपदा प्रबंधन: श्री ए के मोहन्ती, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; श्रीमती भारती, संयुक्त सचिव, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; श्री एस. पी. सिंह परिहार, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी); श्री कमल किशोर, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए); मेजर जनरल एस के जिंदल, ईडी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान; श्री डी. के. शमी अध्यक्ष अग्नि सलाहकार, गृह मंत्रालय; डॉ. एम महापात्रा, महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी); डॉ. वाई. वी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई); श्री आशीष अग्निहोत्री, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)|

कृषि: श्री अतुल चतुर्वेदी, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग (जीओआई); श्रीमती वसुधा मिश्रा, विशेष सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; श्री पी. के. स्वेन संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारी और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; डॉ. सुनील कुमार गुलाटी, अपर अध्यक्ष सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार; डॉ. एस.के. मल्होत्रा, आयुक्त, कृषि, सहकारी विभाग; डॉ. बी. एन. श्रीनिवास मूर्ति, आयुक्त, उद्यान कृषि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; श्री पवनेश कोहली, अध्यक्ष सलाहकार और सीईओ, नैशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलपमेंट

(एनसीसीडी); श्री अविनाश वर्मा महानिदेशक, आईएसएमए; श्री संजीव चढ्ढा, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नैफेड); डॉ. सुधांशु, सचिव, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए); श्री पबन के. बोरठाकुर, सीएमडी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए); डॉ. रोहन जैन, जीसीएमएमएफ (अमूल)|

ग्रामीण विकास: श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री रोहित कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्रीमती लीना जौहरी, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री सुशील सरवन, निदेशक, विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार; फिलिप मैथ्यू, विशेषज्ञ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम; प्रोफेसर मुरुगेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान

स्वास्थ्य: श्रीमती प्रीति पंत, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; श्री प्रवीण गेदाम, उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान भारत; श्री विकास शील, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; डॉ. एस बी काम्बोज, महानिदेशक स्वास्थ्य, श्री राजीव अरोड़ा, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, हरियाणा सरकार की ओर से; डॉ. एस के रहेजा, महानिदेशक (स्वास्थ्य), जीएनसीटीडी और चिकित्सा अधीक्षक, जी बी पंत अस्पताल, दिल्ली; श्री मनीष चतुर्वेदी, प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान; डॉ. विजय अग्रवाल, अध्यक्ष, कन्सॉर्टियम ऑफ एक्रीडिटड हैल्थ केयर ऑर्गेनाईज़ेशन; डॉ. वेद प्रकाश, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर); भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी|

शिक्षा: प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई); प्रोफेसर बिस्वाजीत साहा, निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई); रेणु बत्रा, अपर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी); श्री अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा सरकार; श्री श्रीधर श्रीवास्तव, डीन, राष्ट्रीय भारतीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी); आईआईटी, दिल्ली एवं रुड़की; डॉ. अलका मुद्गल, अध्यक्ष, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन; श्रीमती शोभा मिश्रा घोष, सहायक महासचिव, फिक्की; सुश्री रूपामंजरी घोष, उप-कुलपति, शिव नादर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश; प्रोफेसर बी.के. पटनायक, निदेशक, स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ (एओईडीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इं.गां.रा.मु.वि.); एसईपीटी अहमदाबाद|

पर्यटन और विरासत: श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय; श्री कमल वर्धन राव, अध्यक्ष, भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी); श्रीमती निरुपमा वाई. मोडवेल, प्रधान निदेशक, इन्टैक; श्रीमती रुपिन्दर ब्रार, अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय एएसआई; सुश्री भारती शर्मा, सहायक महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय; श्री अशोक खेमका, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार; श्री विवेक सागर, अध्यक्ष, विकास पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल; श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टुरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड; श्री शिव पाल सिंह, विशेष सचिव, पर्यटन, उ. प्र. सरकार|

आर्थिक संवृद्धि और आय उत्पत्ति : श्री आर. एम. मिश्रा, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग; श्री हरदीप सिंह, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; डॉ. एस. पी. शर्मा, वरि. निदेशक, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआी); केवीआईसी; श्री सुगता सेन, उप महानिदेशक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम); सुश्री स्वाति अग्रवाल, निदेशक, प्राईसवाटर हाउस कूपर्स प्राईवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी); श्री मोहित भसीन, पार्टनर, केपीएमजी; श्री रवि चौहान, जोन्स लैंग लासेल (जेएलएल)|

खेल कौशल और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली: डॉ सावंत भास्कर आत्माराम, प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवासन विभाग, राजस्थान सरकार और सचिव, खेल और युवा मामले, राजस्थान सरकार, सुश्री जुथिका पातंकर, अपर सचिव, कौशल विकास और उद्यशीलता मंत्रालय; श्री मनीष कुमार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद; श्रीमती सुनीता सांघी, वरिष्ठ सलाहकार, कौशल विकास और उद्यशीलता मंत्रालय: डॉ. इम्तियाज़ अहमद, मिशन निदेशक (एज केयर), हेल्पेज इंडिया; कौशल परिषदों के एनसीआर संगत क्षेत्रों के अध्यक्ष और सीईओ; चेतन शर्मा, विजय यादव सहित वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी, श्री राजेश सिंह डीडीजी, ग्राम व्यापार, डाक विभाग|

सुरक्षा और संरक्षा: डॉ. संजय बहल, महानिदेशक, सर्ट-इन; श्री एस.के. भल्ला, डीजी, आईसीसीसीसी निदेशक, गृह मंत्रालय; श्री राम फल पवार, निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी); श्रीमती रमा वेदश्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय आंकड़ा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई); श्रीमती लीनिका खट्टर, अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसिज़ कम्पनीज़ (नैस्कॉम); एनआईसी; श्री नवीन जैन, वरिष्ठ निदेशक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्पयूटिंग (सी-डैक)|

डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म: श्री अनिल स्वरूप, पूर्व-सचिव, कोयला/मानव संसाधन विकास, भारत सरकार एवं पूर्व-सीईओ, आरएसबीवाई; श्री विष्णु चंद्रा, डीडीजी एवं ग्रुप के अध्यक्ष, एनआईसी; श्री प्रकाश कुमार, सीईओ, वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); श्री संजय गोयल, संयुक्त सचिव, इलैक्ट्रॅनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; श्री पी. मोहंती, डीडीजी, यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई); श्री अभिषेक सिंह, अध्यक्ष एवं सीईओ, एनईजीडी/माई गवर्नमेंट; .श्री दिनेश त्यागी, सीईओ, सीएससी; श्री डी.के. सिंह, निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस); श्री विशाल आनंद कनवट्टी, अध्यक्ष, नवाचार, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई); नैस्कॉम|

नागरिक उन्मुख नियोजन: श्री कुणाल कुमार, संयुक्त सचिव, स्मार्ट सीटीज़, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; श्री हितेश वैद्य, निदेशक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान; डॉ. राकेश कुमार, अध्यक्ष सलाहकार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, भारत; विश्व संसाधन संस्थान डब्ल्यूआरआई, ऑबज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), आईआईपीए; टीसीपीओ|

आवासीय अवसंरचना और क्षेत्रीकरण विनियम: डॉ.शेखर बोनु, डीजी, डीएमईओ, नीति आयोग; श्री बिस्वाजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास; श्रीमती डी. तारा, संयुक्त सचिव, एएमआरयूटी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; प्रोफेसर पी एस एन राव, निदेशक, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली; श्री पी.के. गुप्ता, सीईओ एवं एमडी, राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड; हुडको; एमएमआरडीए; एचएमडीए; विश्व बैंक; केएफडब्ल्यू; सीआरईडीएआई; श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य, उ.प्र. आरईआरए, पूर्व उप-कुलपति, दि.वि.प्रा..

कार्यान्वयन रणनीतियां : श्री शंकर अग्रवाल, पूर्व-सचिव, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय; श्री पी.के.सारंगी, कमिश्नर, एनसीआर सेल उत्तर प्रदेश श्रीमती कंचन वर्मा, उपकुलपति, जी.डी.ए. डॉ. क्रिस्टोफर कीस्लर, कंट्री हेड, के.एफ.डब्ल्यू.; श्री ओ.पी.अग्रवाल, सी.ई.ओ. वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
आमंत्रित जानकारी भागीदारों (नॉलेज पार्टनर) में अन्यों के साथ-साथ के.पी.एम.जी., डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ओ.एम.आई.डी.वाई. ए.आर., बी.सी.जी., आई.एस.पी.आई.आर.टी. शामिल थे। इनके अलावा डी.सी., डी.एम., जिला परिषदों, पंचायतों, ए.डी.एम., ए.डी.सी., एन.जी.ओ. से भी प्रतिनिधि आए थे।

3.3.4. इसलिए, कार्यशालाओं में न केवल विविध प्रकार के प्रतिभागियों ने भाग लिया अपितु इसमें भागीदारी का स्तर भी सर्वोत्कृष्ट था। कार्यशालाओं में वक्ताओं का योगदान, उसमें प्राप्त डाटा और सूचना को मई, 2019 में उनके साथ साझा किए गए डाटा फार्मेट के माध्यम से एनसीआर राज्यों से प्राप्त डाटा के साथ और विषयों पर सामान्य अनुसंधान का उपयोग ड्राफ्ट क्षेत्रीय योजना- 2041 के भाग के रूप में नियोजित किए जाने वाले विभिन्न अध्यायों के लिए मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज तैयार करने के लिए किया गया था। मसौदा प्रस्ताव दस्तावेजों पर कार्य कोविड 19 मामलों और प्रौद्योगिकीय सीमाओं के बावजूद घर से कार्य कर रही एनसीआरपीबी की टीम द्वारा घर में ही किया गया और और अब यह पूरा होने वाला है।

3.3.5 इसी बीच एसपीए, दिल्ली से मसौदा अध्यायों/प्रस्ताव दस्तावेजों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और इसने तद्नुसार एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रमुख परामर्शदात्री समिति (सीएसी) और पीएसएमजी के समक्ष रखा गया है। कार्य क्षेत्रों में छह समीक्षाएं, समीक्षाओं और संबंधित प्रस्तुतियों आदि के दौरान उसकी टिप्पणियों/सुझावों का समावेशन शामिल है। प्रस्ताव की लागत 35 लाख रुपये है जिसमें कर और यथा लागू बैठक शुल्क शामिल है। प्रस्ताव की स्थिति के बारे में बोर्ड की बैठक में अवगत किया जाएगा।

3.3.6 इसलिए, व्यावहारिक और भविष्यगामी क्षेत्रीय योजना बनाने एनसीआरपीबी द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं जिसमें नागरिकों, जीवन की सरलता के साथ जुड़ी जीवन की गुणवत्ता और व्यवसाय करने, और रा.रा. क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की प्राप्ति के लिए ध्यान किया गया है।

प्रस्ताव:

मामले को बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया है।

कार्यसूची मद संख्या 4 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा की स्थिति

4.1 बोर्ड की पिछली (38वीं) बैठक में अध्यक्ष, एनसीआरपीबी ने सुझाव दिया था कि रिपोर्ट में सुझाए गए विकल्पों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों को आमंत्रित कर एक कार्यशाला आयोजित की जाए। इसके बाद स्थिति बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।

4.2 तद्नुसार, विज्ञान भवन में 17.021.2020 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विशेषज्ञों और हितधारकों को आमंत्रित किया गया। एनसीआर रूपरेखा पर हितधारकों के सम्मेलन की पी.पी.टी. और कार्यवृत्त परिशिष्ट- 4/**I** एवं परिशिष्ट- 4/**II** पर दिए गए हैं। सम्मेलन में मसौदा रिपोर्ट के अनुसार वर्णित एनसीआर के निम्नलिखित दो विकल्पों (विकल्प- I एवं विकल्प- II) पर विस्तार से चर्चा की गई।

विकल्प- **I** : इसमें दिल्ली से 100 कि.मी. परिधि में त्रिज्या क्षेत्र से परे 150 कि.मी. की परिधि के भीतर प्रमुख यातायात नेटवर्क के साथ-साथ, कॉरिडोर का विकास शामिल है और इसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष क्षेत्र छूट जाते हैं जिसमें वर्तमान एनसीआर से कुछ पूरी तहसील शामिल हैं और जिनका सीमित नवीन समावेशन है (अपवर्जन : लगभग 22,195 वर्ग किमी., कुल एनसीआर लगभग 35,483 वर्ग किमी.)

विकल्प- **II** : इसमें दिल्ली से 100 किमी. की परिधि में त्रिज्या क्षेत्र से परे 200 किमी. के भीतर वर्तमान एवं सक्षम यातायात नेटवर्क के साथ सघन कॉरिडोर विकास शामिल है और इसके परिणामस्वरूप कुछ तहसीलों के भाग और एक पूरी तहसील का अपवर्जन होता है (अपवर्जन : लगभग 12(819 वर्ग किमी., कुल रा.रा.क्षेत्र: लगभग 45,550 वर्ग किमी.)

4.3 राजस्थान सरकार का (पत्र दिनांक 16.01.2020) का विचार है कि समिति द्वारा सुझाए गए विकल्प- II पर निम्नलिखित आशोधनों के साथ सहमति बन सकती है:

क) अलवर जिले (संपूर्ण जिला) की सभी तहसील वर्ष 2004 से अधिसूचित एनसीआर का भाग हैं, इसलिए सभी को रा.रा.क्षेत्र के भाग के रूप में रहना चाहिए।

ख) संपूर्ण भरतपुर जिले को एनसीआर का भाग बने रहना चाहिए।

ग) दूसरे विकल्प में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के साथ-साथ जयपुर जिले में तहसील विराट नगर के क्षेत्र (भाग) की समावेशन के लिए पहचान की गई है। इसका राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के साथ-साथ जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) क्षेत्र (तहसील अजमेर तक) का सीमा तक विस्तार किया जाना चाहिए ताकि आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का जयपुर तक विस्तार किया जा सके जो रा.रा. क्षेत्र का एक सी.एम.ए. है।

4.4 रा.रा. क्षेत्र योजना तथा अनुवीक्षण सेल**,** उ.प्र. (प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी योजना विभाग, उ.प्र. सरकार को लिखा दिनांक 04.03.2020 का पत्र) का विचार है कि संभाव्यता और परिचालनात्मक क्षेत्रीय योजना को ध्यान में रखते हुए विकल्प- I अधिक व्यवहार्य लगता है। हालांकि उ.प्र. सरकार के विचार की प्रतीक्षा है।

4.5 इसके बाद मामले को 68वीं योजना समिति के समक्ष रखा गया जिसमें हरियाणा, उ.प्र. और दिल्ली से 25 मार्च, 2020 तक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां भेजने का आश्वासन दिया। तथापि टिप्पणियों की प्रतीक्षा है। इसके बाद मामले को लगातार आगे बढ़ाया गया है।

प्रस्ताव:

मामले को बोर्ड के समक्ष सूचना और आगे के निदेश के लिए प्रस्तुत किया गया है।

कार्यसूची मद सं. 5: सदृश समान यातायात करार की स्थिति

5.1 24.05.2006 को बोर्ड की 29वीं बैठक के निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को एक वैश्विक उत्कृष्टता का क्षेत्र बनाने के लिए अनिवार्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित निर्णय लेने में सहायता के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (अब आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया गया।

5.2 04.04.07 को आयोजित अपनी पहली बैठक में अधिकारप्राप्त समिति के सदस्य सचिव, एनसीआर योजना बोर्ड की अध्यक्षता में उ.प्र., हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली के 'यातायात सचिवों/आयुक्तों की समिति (सीओटीएस) का गठन करने का निर्णय लिया जोकि वाहनों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और रा.रा.क्षेत्र के सभी घटकों के लिए बहु-स्तरीय करारों के लिए एक समान फॉर्मेट पर भी चर्चा करेगी जिस पर एनसीआर में यातायात की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संघटक राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.3 एनसीआर जिसमें रा.रा.क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली से सटे राज्यों के क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, उ.प्र. तथा हरियाणा शामिल हैं, में प्रभावी यातायात प्रणाली और यातायात की सुगम आवाजाही का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जैसा कि क्षेत्रीय योजना-2021 के पैरा 2.1 में परिभाषित है, एक सदृश समान करार के अधीन एनसीआर यानि इन राज्यों में अंतरराज्यीय यातायात के अबाधित और सुगम आवाजाही की सख्त आवश्यकता है।

5.4 तदनन्तर, हरियाणा, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच निम्नानुसार सदृश समान यातायात करारों (आरसीटी) पर हस्ताक्षर किए गए:

क: 'कॉन्ट्रेक्ट कैरिज' के लिए करार

5.5 14.10.08 को 'कॉन्ट्रेक्ट कैरिज' के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) का उपयोग करने वाले यूरो मानकों को पूरा करने वाले और एनसीआर में पंजीकृत सभी कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहनों को अबाधित रूप से आवाजाही की अनुमति होगी। इस करार के पैरा 5 (ii), इस करार के सामान्य में उल्लेख किया गया है कि यह करार अगले दस वर्षों तक अथवा संघटक राज्यों के बीच हस्ताक्षरित नए करार के हस्ताक्षरित होने तक, जो भी पहले हो के लिए मान्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर इस करार की पांच वर्ष बाद समीक्षा की जा सकती है। जबकि अन्य गौण मामलों को समूह की वार्षिक बैठक में सुलझाया जा सकता है, करार के आधारभूत ढांचे के भीतर बदलावों के लिए वार्षिक आधार पर पुन: अधिसूचना दी जा सकती है।

5.6 करार के पैरा 5 (ii) में प्रावधानों के अनुसार 'कॉन्ट्रेक्ट कैरिज' के लिए करार अगले दस वर्षों (यानि 13.10.18) तक या संघटक राज्यों के बीच हस्ताक्षरित ऐसे किसी करार के समय तक, जो भी पहले हो के लिए मान्य होगा। प्रचलित करार की मान्यता अवधि को अगले दस वर्षों तक बढ़ाने पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 05.10.18 के समसंख्यक पत्र के अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत

रा.रा.क्षेत्र के भागीदार राज्यों से इस संबंध में अनुरोध किया गया। इसके जवाब में राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार और उसके बाद हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने दिनांक 14.09.18, 11.10.18, 12.10.18 के अपने पत्रों के माध्यम से एक नया करार होने तक इसके विस्तार पर अपनी सहमति प्रदान की। तद्नुसार, 13.10.18 से आगे अगले छह महीने के लिए आर.सी.टी.ए. (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) की वैधता को आगे बढ़ाने के लिए एनसीआर के सभी भागीदार राज्यों को अध्यक्ष, सीओटीएस द्वारा दिनांक 12.10.18 को एक अनुरोध पत्र भेजा गया जिसमें नए आर.सी.टी.ए. (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) पर हस्ताक्षर का मामला लंबित हो गया।

5.7 तद्नन्तर, 16.10.18 को ऐसा ही आदेश जारी हुआ जिसमें एनसीआर परमिट धारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली सामान्य जनता को होने वाली असुविधा से बचने के लिए यह निदेश दिया गया कि दिनांक 14.10.08 के नियम एवं शर्तों का 13.10.18 से आगे छह महीने (यानि 13.04.2019) तक अनुपालन किया जाए और अगले आदेश तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए। चूंकि नए आरसीटीए (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) को अंतिम रूप दिया जाना था और एनसीआर राज्यों ने विधि द्वारा आदेशित आवश्यक अनुमोदन और तदनन्तर अधिसूचनाएं प्राप्त करने के लिए समय मांगा था, 08.03.19 को आयोजित सीओटीएस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एनसीआर के परमिटधारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली सामान्य जनता को असुविधा से बचाने के लिए एनसीआर राज्यों को निदेश देते हुए एक आदेश जारी किया जाए कि 14.10.08 के करार के नियम एवं शर्तों का 13.04.19 से आगे अन्य छह महीने तक अनुपालन किया जाए और अगले आदेश तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए। तदनुसार, दिनांक 14.10.18 के करार को 13.04.09 से आगे अगले छह महीने तक विस्तार देने और अगले आदेश तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए 08.03.19 को एक अन्य आदेश जारी किया गया।

5.8 05.08.19 को आयोजित सीओटीएस बैठक में मामले पर चर्चा की और एनसीआर राज्यों को मसौदा आर.सी.टी.ए. (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) परिचालित किया गया और 06.08.19 को बैठक का कार्यवृत्त परिचालित किया गया। अभी तक कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

5.9 मसौदा आरसीटीए पर 09.10.2019 को आयोजित अगली सीओटीएस बैठक में चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चूंकि नए आर.सी.टी.ए. (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और एनसीआर के राज्यों ने हरियाणा में चुनावों के कारण अधिक समय का अनुरोध किया है और विधि द्वारा उल्लेख किए गए के अनुसार आवश्यक अनुमोदन और तदनन्तर अधिसूचनाएं प्राप्त करने का अनुरोध किया है, इसलिए एनसीआर परमिट धारी सार्वजनिक परिवहन के प्रकार का उपयोग करने वाली सामान्य जनता को असुविधा से बचाने के लिए एक अन्य आदेश जिसमें कहा गया कि 13.10.19 से आगे अन्य छह महीने के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, दिनांक 14.10.08 के करार के नियम एवं शर्तों का अनुपालन किया जाए और यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए। तदनुसार, दिनांक 11.10.2019 को एक आदेश जारी किया गया।

5.10 12.12.2019 को आयोजित सीओटीएस बैठक में मसौदा आरसीटीए में चर्चा की गई, जिसमें राज्यों को मसौदा आरसीटीए (सीसी) पर अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया।

5.11 06.03.2020 को आयोजित सीओटीएस बैठक में मसौदा आरसीटीए पर फिर से विचार किया गया, यह सुझाव दिया गया कि चूंकि आर.सी.टी.ए. (स्टेज कैरिज) और विस्तारित आर.सी.टी.ए. (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) की वैधता अप्रैल 2020 में समाप्त हो रही थी, संयुक्त करार का मसौदा यानि आरसीटीए (सीसी एवं एससी) पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, इसके बाद मसौदा सदृश समान परिवहन करार (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेज कैरिज) (आरसीटीए (सीसी एंड एसी) पर चर्चा की गई। बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य परिचालित मसौदा संयुक्त आरसीटीए (सीसी एंड एससी) पर 25 मार्च, 2020 तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। मसौदा संयुक्त करार की एक प्रति दिनांक 11.03.2020 के सीओटीएस के कार्यवृत्त के साथ साझा की गई है।

5.12 तदनन्तर, कोविड-19 के प्रसार के नियंत्रण के लिए किए जा रहे बचाव उपायों के कारण भारत सरकार, डीओपीटी के का.आ. के समसंख्यक पत्र संख्या दिनांक 19.03.2020, 20.03.2020 और 22.03.2020 जारी किए गए हैं जिनमें सभी विभागों/कार्यालयों को थोड़े स्टाफ के साथ काम करने के लिए कहा गया है और वे सभी घर में काम करते समय संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करेंगे। इस मामले पर बैठक आयोजित करना मुश्किल होता और एनसीआर परमिट धारी सार्वजनिक परिवहन के प्रकारों का उपयोग करने वाली सामान्य जनता को असुविधा से बचाने के लिए, इसलिए यह उचित समझा गया कि कॉन्ट्रेक्ट कैरिज करार, जोकि 12.04.2020 तक वैध था और स्टेज कैरिज कॉन्ट्रेक्ट जो कि 21.04.2020 तक वैध था को इसके साथ अगले छह महीने की अवधि के लिए समान नियम एवं शर्तों के साथ आगे बढ़ाया जाये यानि क्रमश: कॉन्ट्रेक्ट कैरिज को 11.10.2020 तक और स्टेज कैरिज को 20.10.2020 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। तद्नुसार, एनसीआरपीबी ने दिनांक 23.03.2020 के आदेश के अंतर्गत यह निदेश दिया कि ऊपर उल्लिखित अनुसार अगले छह माह तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो एनसीआरपीबी के भागीदार राज्यों द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाए और यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए।

5.13 15.09.2020 को आयोजित सीओटीएस बैठक में मसौदा संयुक्त आरसीटीए पर फिर से चर्चा की गई जिसमें राज्यों से शीघ्रता से मसौदा संयुक्त आरसीटीए (सीसी एवं एसी) पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष ने भागीदारों को यह भी सूचित किया कि कॉन्ट्रेक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज अनुबंध की वैधता क्रमश: 11.10.2020 (सीसी) और 20.10.2020 (एसी) को समाप्त हो जाएगी। समिति ने वैधता को अगले छह महीने तक बढ़ाने या अंतिम मसौदा संयुक्त आरसीटीए पर अनुबंध (एसीसी एवं सीसी) पर हस्ताक्षर होने तक, जो भी पहले हो तक बढ़ाने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया कि दोनों आरसीटीए (सीसी एवं एससी) के लिए वैधता अवधि को उन्हीं नियम तथा शर्तों पर अगले छह महीने के लिए या मसौदा संयुक्त आरसीटीए अनुबंध (एससी एवं सीसी) पर हस्ताक्षर होने तक, जो भी पहले हो के लिए बढ़ाया जाएगा। सीओटीएस के निर्णय के अनुसार 18.09.2020 को तद्नुसार आदेश जारी किया गया है।

प्रस्ताव :

मामले को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

ख. 'स्टेज कैरिज' के लिए अनुबंध

5.14 'स्टेज कैरिज' के लिए अनुबंध जिसमें सीएनजी से चलने वाले स्टेज कैरिज वाहनों (एनसीआर के भीतर चलने/समाप्त होने वाले) को अनुमति दी गई है पर 22.04.2010 को हस्ताक्षर किए गए। इन करारों को एनसीआर के सभी संघटक राज्यों द्वारा भी अधिसूचित किया गया है। यह भी सहमति बनी कि सभी संघटक राज्य और अन्य शेयरधारक रा.रा. क्षेत्र में सी.एन.जी. की उपलब्धता में तेजी लाने का प्रयास करेंगे।

5.15 स्टेज कैरिज करार ने अपने पैरा 5(ii), सामान्य में उल्लेख किया कि ''यह करार अगले दस वर्षों के लिए या ऐसे समय तक जब संघटक राज्यों के बीच एक नए करार पर हस्ताक्षर किए जाने तक जो भी पहले हो तक वैध होगा। आवश्यकता पड़ने पर करार की पांच वर्ष बाद समीक्षा की जा सकती है। जबकि अन्य बाह्य मामले जिनमें अधिक संख्या में परिवहन प्रणाली के लिए फीडर बसें चलाना आदि शामिल है को जैसे और जब आवश्यक हो भागीदार राज्यों की बैठक में सुलझाया जा सकता है। करार के आधारभूत ढांचे के भीतर बदलावों के लिए तद्नुसार एक अधिसूचना पुन: जारी की जा सकती है।''

5.16 'स्टेज कैरिज' के लिए करार जिस पर 22.04.2010 में हस्ताक्षर किए गए थे के संबंध में, 22.04.2020 तक विस्तार/संशोधन पर आगे निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

5.17 करार (स्टेज कैरिज) पर 06.03.2020 को आयोजित सीओटीएस बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि चूंकि आरसीटीए (स्टेज कैरिज) और विस्तारित आरसीटीए (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) की वैधता अप्रैल 2020 में समाप्त हो रही थी, संयुक्त करारों के मसौदे यानि आरसीटीए (सीसी एवं एससी) पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, इसके बाद मसौदा सदृश समान परिवहन करार (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेज कैरिज) {आरसीटीए (सीसी एवं एससी)} पर चर्चा की गई। बातचीत के बाद राज्यों से 11.03.2020 को सीओटीएस के कार्यवृत्त के साथ परिचालित मसौदा संयुक्त आरसीटीए (सीसी एवं एससी) पर 25 मार्च, 2020 तक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

5.18 कोविड-19 के प्रसार के नियंत्रण के लिए किए जा रहे बचाव उपायों के कारण भारत सरकार, डीओपीटी के का.आ. के समसंख्यक पत्र संख्या दिनांक 19.03.2020, 20.03.2020 और 22.03.2020 जारी किए गए हैं जिनमें सभी विभागों/कार्यालयों को थोड़े स्टाफ के साथ काम करने के लिए कहा गया है और वे सभी घर में काम करते समय संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करेंगे। इस मामले पर बैठक आयोजित करना मुश्किल होता और एनसीआर परमिट धारी सार्वजनिक परिवहन के प्रकारों का उपयोग करने वाली सामान्य जनता को असुविधा से बचाने के लिए, इसलिए यह उचित समझा गया कि कॉन्ट्रेक्ट कैरिज करार, जोकि 12.04.2020 तक वैध था और स्टेज कैरिज कॉन्ट्रेक्ट जोकि 21.04.2020 तक वैध था को इसके साथ अगले छह महीने की अवधि के लिए समान नियम एवं शर्तों के साथ आगे बढ़ाया जाये यानि क्रमश: कॉन्ट्रेक्ट कैरिज को 11.10.2020 तक और स्टेज कैरिज को 20.10.2020 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।

तद्नुसार, एनसीआरपीबी ने दिनांक 23.03.2020 के आदेश के अंतर्गत यह निदेश दिया कि ऊपर उल्लिखित अनुसार अगले छह माह तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो एनसीआरपीबी के भागीदार राज्यों द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाए और यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए।

5.19 मसौदा संयुक्त आरसीटीए पर 15.09.2020 को आयोजित सीओटीएस बैठक में फिर से विचार किया गया जिसमें राज्यों से शीघ्रता से मसौदा संयुक्त आरसीटीए (सीसी एवं एससी) पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

5.20 आरसीटीए (कॉन्ट्रेक्ट और स्टेज कैरिज) के आगे के विस्तार के संबंध में, अध्यक्ष ने भागीदारों को सूचित किया कॉन्ट्रेक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज करार की वैधता क्रमश: 11.10.2020 (सीसी) और 20.10.2020 (एससी) को समाप्त हो जाएगी। समिति ने वैधता को आगे छह महीने के लिए बढ़ाने या अंतिम मसौदा संयुक्त आरसीटीए करार (एससी एवं सीसी) पर हस्ताक्षर होने तक, जो भी पहले हो तक बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से सहमति जताई। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि दोनों आरसीटीए पर (सीसी एवं एससी) के लिए वैधता अवधि को अगले छह महीने के लिए या अंतिम मसौदा संयुक्त् आरसीटीए करार (एससी एवं सीसी) पर हस्ताक्षर होने तक, जो भी पहले हो तक समान नियमों एवं शर्तों के साथ विस्तार किया जाएगा। सीओटीएस निर्णय के अनुसार 18.09.2020 को तद्नुसार आदेश जारी किया गया है (प्रति परिशिष्ट 5/1 पर है)।

5.21 एनसीआरपीबी रा.रा.क्षेत्र के भागीदार राज्यों के साथ 'कॉन्ट्रेक्ट कैरिज' और 'स्टेज कैरिज' के लिए हरियाणा, रा.रा.क्षेत्र- दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच सदृश समान परिवहन करारों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुपालन कर रही है।

प्रस्ताव:

मामले को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

कार्यसूची मंद सं. 6 : उप-क्षेत्रीय योजनाओं पर विचार

बोर्ड ने 38वीं बैठक में निदेश दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य और रा.रा. क्षेत्र दिल्ली को अगले 03 महीने के भीतर दिसम्बर 2019 तक होरिजोन 2021 के पास अपनी लंबित एसआरपी जमा करनी है। तदनन्तर, एनसीआरपीबी ने लंबित एसआरपी के कार्य में तेजी जाने के लिए संबंधित विभागों / रा.रा. क्षेत्र प्रकोष्ठों के पास आगे बढ़ाया। इस संबंध में विचार के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत हैं :

6.1 रा.रा.क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021

6.1.1 बोर्ड ने अपनी 33वीं बैठक में निर्णय लिया कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन दिल्ली 2021 के लिए तैयार मास्टर प्लान को एनसीआर दिल्ली उपक्षेत्र के लिए उपक्षेत्रीय योजना समझा जाए। हालांकि, मास्टर प्लान में अंतरराज्यीय संपर्कों के मामलों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

6.1.2 तदनन्तर, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डीडीए/अन्य एजेन्सी एनसीआरपीबी अधिनियम 1985, के प्रावधानों के अनुसार उप-क्षेत्रीय योजना बनाने में लगी होगी जिसे दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में अपनाए जाने से पूर्व जीएनसीटीडी और एनसीआरपीबी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। डीडीए द्वारा मसौदा एसआरपी बनाया गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास जमा कर दिया है। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली को बोर्ड के पास मसौदा एसआरपी के विचार के लिए जमा करना है। तद्नुसार, मामले को आगे बढ़ाया गया।

6.1.3 13.09.2019 को आयोजित बोर्ड की 38वीं बैठक में मामले पर फिर से विचार किया गया जिसमें वीसी, डीडीए द्वारा यह सूचना दी गई कि एसआरपी 2021 पर कार्य आरंभ किया गया है और दिसम्बर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। एनसीआर दिल्ली सरकार और डीडीए को 28.11.2019 को पत्र के माध्यम से 38वीं बोर्ड बैठक के निर्णय की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एसआरपी और एनसीजेड वर्णन की तैयारी के लिए 03.01.2020, 12.02.2020, 21.07.2020 और 02.09.2020 को अनुस्मारक जारी किया गया।

6.1.4 रा.रा.क्षेत्र-दिल्ली सरकार और डीडीए**,** बोर्ड को अवगत करायेंगे।

प्रस्ताव:

मामले को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ और आवश्यक निदेश के लिए प्रस्तुत किया गया है।

6.2: उ.प्र. उप-क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021

6.2.1 उ.प्र. सरकार को दिनांक 29.11.2019 के पत्र के माध्यम से बोर्ड की 38वीं बैठक के नियमों की जानकारी दी गई। चूंकि उ.प्र. उप-क्षेत्र में नए जुड़े जिलों के लिए मसौदा एसआरपी-2021 प्राप्त नहीं हुआ था, 12.02.2020 को अनुस्मारक भेजा गया।

6.2.2 इससे आगे, मार्च 2020 में आयोजित 68वीं योजना समिति में भी मामले पर चर्चा की गई, जिसमें सीसीवी, रा.रा. क्षेत्र सेल, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सूचना दी गई कि एक सप्ताह के भीतर परामर्शदाता से मसौदा रिपोर्ट की आशा थी और बाद में इसे जांच के बाद एनसीआरपीबी के पास भेजा जाएगा। योजना समिति ने सुझाव दिया कि उ.प्र. सरकार एसआरपी तैयार करने में कुछ व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अधिक समय देने का भी अनुरोध कर सकती है क्योंकि उसकी रिपोर्ट में देरी हो रही थी।

6.2.3 चूंकि वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, उ.प्र. सरकार को 26.06.2020 को अनुस्मारक भेजा गया था। यह देखा गया है कि मसौदा एसआरपी पर विचार के लिए 11.09.2020 को परामर्शदात्री मूल्यांकन और समीक्षा समिति (सीईआरसी) आयोजित की गई थी और निर्णयों के अनुसार संशोधन किए गए हैं।

6.2.4 उ.प्र. सरकार बोर्ड को अवगत करायेगी।

प्रस्ताव:

मामले को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ और आवश्यक निदेश के लिए प्रस्तुत किया गया है।

कार्यसूची मद सं. 7 : जनसंख्या घनत्व पर नोटिस की स्थिति

7.1 एनसीआरपीबी ने आरपी 2021 में प्रदत्त घनत्व मानकों के उल्लंघन के लिए उ.प्र., राजस्थान और हरियाणा की रा.रा. क्षेत्र के भागीदार राज्यों को क्रमश: दिनांक 21.01.2016, 22.01.2016 और 25.01.2016 के पत्र के माध्यम से एनसीआरपीबी अधिनियम की धारा 29(2) के अधीन नोटिस जारी किए हैं। सभी संबंधित राज्य सरकारों ने इस मामले में जवाब जमा किया है।

7.2 इस मामले पर 13.09.2020 को आयोजित बोर्ड की 38वीं बैठक में अंतिम बार चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष ने सलाह दी कि पहले से जारी घनत्व नोटिस के लिए एनसीआरपीबी द्वारा कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें राज्य न्यायालय के निदेशों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय योजना में सुझाए गए घनत्व मानकों को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों/उठाए गए कदम/उठाए जाने वाले कदम के बारे में बताते हुए उपयुक्त जवाब दें। तद्नुसार, राज्यों द्वारा 2021 में अंतरिम उपलब्धियों के साथ उत्कृष्ट जवाब भी दिए जाने की आवश्यकता होगी। तद्नुसार, बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

- एनसीआरपीबी जनसंख्या घनत्व के संबंध में नोटिसों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए राज्यों के साथ निकटता से कार्य कर सकता है।

7.3 इसके बाद, 16.03.2020 को आयोजित अपनी 68वीं बैठक में योजना समिति ने सभी संबंधित राज्य सरकारों से संबंधित मास्टर प्लान में वर्ष 2021 के लिए लक्षित जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित करने पर तेजी लाने और कस्बों के लिए आरपी 2021 के सुझाए गए घनत्वों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदम/पहलों की जानकारी देने का अनुरोध किया।

7.4 हरियाणा सरकार को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29(2) के तहत जारी नोटिस

7.4.1 हरियाणा सरकार ने नोटिस वापिस लेने के अनुरोध के साथ एनसीआरपीबी द्वारा जारी नोटिस का दिनांक 19.06.2020 (परिशिष्ट: 7/2) के अंतर्गत जवाब दिया। पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है:

i. 17.09.2005 को अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 'क्षेत्रीय भू उपयोग' शीर्षक वाले अध्याय 17 के खंड 17.4.1 के अंतर्गत तालिका 17.10 में शहरी स्तर घनत्व मानक प्रदान करता है। हालांकि, ये घनत्व मानक कहीं अधिक थे और वर्ष 1996 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी यूडीपीएफआई दिशानिर्देशों से भिन्न थे। इसलिए वर्ष 2013 में आयोजित आरपी-2021 की प्रथम (मसौदा) समीक्षा के दौरान बातचीत के बाद यूडीपीएफआई के घनत्व मानकों को अपनाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, एनसीआरपीबी की 38वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन के बाद, विशेष उद्देश्य नगर-क्षेत्रों के लिए घनत्व में 10% कमी के प्रावधान के साथ डीआरआरपी-2021 में मानकों को अपनाया गया।

ii. चूंकि आरपी-2021 में निर्दिष्ट घनत्व मानदंड विचारणीय हैं, इसलिए एनसीआर के विभिन्न शहरों में समान घनत्व शामिल नहीं किया जा सकता है।

iii. एनसीआर में ही विभिन्न घनत्व मानदंडों को लागू करना भी उचित नहीं है।

iv. अनुमानित आबादी की चरणबद्धता की जा सकती है, लेकिन इसे स्थानिक सीमाओं से सीमाबद्ध करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें न केवल व्यक्तियों/निजी डेवलपर्स के लिए कठिनाई पैदा होगी, बल्कि सरकार के स्तर पर भूमि जो नई अधिग्रहण कार्यवाही के अभाव में अब एक दुर्लभ संसाधन है, की उपलब्धता के अनुसार विकास परियोजनाओं में भी बाधा उत्पन्न होगी।

v. चूँकि आयोजना एक सतत प्रक्रिया है और अगर इसमें कोई भिन्नता है, तो यह विकास की एवर-चार्जिंग गतिशीलता, यह सब क्षेत्रीय योजना की तैयारी के समय परिकल्पित नहीं किया जा सकता है) और इस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं के कारण होती है।

7.4.2 यह देखा गया है कि आर पी -2021 के 17.4.1 उप-पैरा (क) में तालिका 17.10 में दिए गए घनत्व मानदंड संसूचक हैं। हरियाणा ने जनसंख्या घनत्व में सुधार के लिए नई एकीकृत लाइसेंस नीति (एन आई एल पी -2016), ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टी ओ डी) नीति, औद्योगिक कस्बों की स्थापना आदि विभिन्न नीतिगत प्रावधानों के माध्यम से भी प्रयास किए हैं।

प्रस्ताव:

मामले को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत जारी किए गए नोटिस के संबंध में मार्गदर्शन हेतु बोर्ड के सामने रखा गया है।

7.5 एनसीआरपीबी अधिनियम,1985 की धारा 29 (2) के तहत राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया।

7.5.1 एनसीआरपीबी सचिवालय ने दिनांक 22.01.2016 के पत्र के तहत एनसीआरपीबी अधिनियम 1985 की धारा 29 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया था, जो अलवर के भिवाड़ी-तपुकरा-खुशखेड़ा (ग्रेटर भिवाड़ी) और खैरथल शहरी केंद्र के मास्टर प्लान से संबंधित था क्योंकि क्षेत्रीय योजना -2021 में सुझाए गए घनत्व मानदंडों की तुलना में भिन्नता देखी गई थी। यह भी देखा गया कि अधिकांश मास्टर प्लान के परिप्रेक्ष्य वर्ष 2021 से आगे हैं।

7.5.2 बोर्ड की 38वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, मुख्य नगर योजनाकार, राजस्थान ने दिनांक 27.02.2020 के पत्र के तहत (**अनुबंध: 7/II**) सूचित किया कि दिनांक 10.07.2019 के पत्र के तहत इस तथ्य का उल्लेख करते हुए नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया गया है कि शहरों / कस्बों के मास्टर प्लान मौजूदा विकास प्रवृत्तियों और शहर / कस्बों के भावी अनुमानों / आवश्यकताओं पर तैयार किए जाते हैं और इसलिए, इस चरण में चरणबद्धता करना मुश्किल होगा और पहले से ही विद्यमान मास्टर प्लान में विकास का पूर्वानुमान लगाने / इसे प्रवर्तित / प्रतिबंधित करने के लिए चरणबद्धता संबंधी कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एनसीआरपीबी के प्रावधान और नीतियों के अनुसार उक्त नगरों के मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष को संशोधित किया गया।

7.5.3 तत्पश्चात, राजस्थान सरकार ने दिनांक 20.03.2020 के पत्र (**अनुबंध: 7 /III**) के तहत बताया कि आरपी-2021 के घनत्व मानदंडों का अनुपालन करने के लिए अलवर के मास्टर प्लान का परिप्रेक्ष्य वर्ष 2031 से बढ़ाकर 2051, ग्रेटर भिवाड़ी का मास्टर प्लान 2031 से बढ़ाकर 2041 और खैरथल का 2021 से बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। आरपी-2021 में 17.4.1 पर सुझाए गए मानदंड संसूचक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। हालांकि, पिछले 2-3 वर्षों के दौरान, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित नीतियां / प्रस्ताव तैयार किये हैं जिनसे कस्बों / शहरों का घनत्व बढ़ेगा:

(i) डीएमआईसी कॉरिडोर और दिल्ली-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर के पास होने से ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान क्षेत्र का घनत्व प्रभावित होगा।

(ii) वर्ष 2017 में, राजस्थान सरकार ने एकीकृत भवन उपनियमों को अधिसूचित किया है जिनमें एफएआर को 1.33 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है।

(iii) मुख्यमंत्री जन आवास योजना में, सभी स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरणों / राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और निजी डेवलपर्स को ईडब्ल्यूएस / एलआईजी आवास श्रेणी के लिए न्यूनतम 25 से 50% और एफएआर का 10% आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, रुग्ण औद्योगिक इकाई में, इस श्रेणी के लिए 50% अनिवार्य है।

(iv) राजस्थान सरकार ने सभी स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे मास्टर प्लान / क्षेत्रीय योजना में बहु-मंजिला इमारत के लिए भूमि का सीमांकन करें।

7.5.4 यह देखा गया है कि आरपी-2021 में 17.4.1 सब-पैरा (क) पर तालिका 17.10 में दिए गए घनत्व मानदंड संसूचक हैं और बाध्यकारी नहीं हैं। 2021 के लिए चरणबद्धता / मील के पत्थर के बारे में, यह देखा गया है कि राजस्थान सरकार ने इसे नहीं किया है। उन्होंने मास्टर प्लान के परिप्रेक्ष्य वर्षों को बढ़ाया है। यह भी देखा गया है कि आरपी-2021 में यथानिर्दिष्ट राजस्थान उप-क्षेत्र के शहरों / कस्बों के जनसंख्या घनत्व में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों और कार्यों के माध्यम से प्रयास किए गए हैं जैसे कि एफएआर में वृद्धि, बहु-मंजिला भवन के लिए भूमि का आवंटन, डीएमआईसी कॉरिडोर और प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर।

कार्रवाई:

मामले को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत जारी किए गए नोटिस पर मार्गदर्शन हेतु बोर्ड के सामने रखा गया है।

7.6 एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया।

7.6.1 एनसीआरपीबी सचिवालय ने दिनांक 21.01.2016 के पत्र के तहत एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत ग्रेटर नोएडा के लिए संशोधित मास्टर प्लान 2021 के बारे में एक नोटिस जारी किया था क्योंकि ग्रेटर नोएडा के लिए संशोधित मास्टर प्लान में शहर का घनत्व अभी

भी 54 पीपीएच (PPH) पर बनाए रखा गया था जो एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रावधानों (2005 में अधिसूचित) के अनुरूप नहीं है। यह नोटिस ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 की मंजूरी के लिए 5 शर्तों के संबंध में विस्तृत जांच के बाद जारी किया गया था जिसे एनसीआरपीबी के दिनांक 24.08.2012 के पत्र के तहत संसूचित किया गया था।

7.6.2 जीएनआईडीए द्वारा दिनांक 31.03.2016 के पत्र के तहत प्रस्तुत की गई कृत कार्रवाई रिपोर्ट की जांच की गई और यह देखा गया कि जनसंख्या घनत्व से संबंधित शर्त सं.1 और पर्यावरण मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित शर्त सं. 3 का संशोधित मास्टर प्लान में अनुपालन नहीं किया गया था। हालाँकि, यह जीएनआईडीए को सूचित नहीं किया गया था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश, सरकार से प्राप्त नहीं हुआ था।

7.6.3 इसके बाद, 15.06.2016 को आयोजित बोर्ड की 36 वीं बैठक में एनसीआरपीबी द्वारा जारी किये गए नोटिस पर चर्चा की गई। बोर्ड के निर्णयों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, सरकार से बाद के पत्राचार में, केवल जनसंख्या घनत्व के संबंध में आशोधन / संशोधन के लिए अनुरोध किया गया है।

7.6.4 इस मामले पर बोर्ड की 38वीं बैठक में चर्चा की गई जिसमें अध्यक्ष ने सलाह दी कि पहले से जारी घनत्व नोटिस के लिए, एनसीआरपीबी द्वारा एक उपाय निकाला जाए जिसमें राज्य न्यायालयों के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय योजना में सुझाए गए घनत्व मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने किए गए/ किये जा रहे प्रयासों / कदमों का उल्लेख करते हुए उपयुक्त उत्तर दें।

7.6.5 अब, जीएनआईडीए ने दिनांक 06.03.2020 के पत्र जो उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा दिनांक 22.07.2020 के पत्र (**अनुबंध: 7/IV**) के तहत अग्रेषित किया गया था ,के तहत शर्तवार कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और ग्रेटर नोएडा के जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण / कार्रवाई की गई :

(i) ग्रेटर नोएडा के लिए मास्टर प्लान- 2021 के अनुसार, शहरीकरण योग्य क्षेत्र 22255 हेक्टेयर है, आवासीय उपयोग लगभग 22.36% है जबकि औद्योगिक उपयोग के तहत यह 18.88 है। इस प्रकार औद्योगिक उपयोग लगभग 5.88% अधिक है और आवासीय उपयोग यूडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार औसत से 15.14% कम है। यूडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय उपयोग 35-40% के रूप में सुझाया गया है तथा 12-14% औद्योगिक उपयोग के रूप में सुझाया गया है।

(ii) 10 लाख की जनसंख्या से अधिक के शहर की योजना बनाते समय संशोधित योजना-2021 के अनुसार सुझाया गया समग्र शहरी जनसंख्या घनत्व 150-200 पी पी एच ए है। यह मुख्य रूप से सामान्य कार्यात्मक शहरों के लिए हो सकता है जहां भूमि उपयोग वितरण औद्योगिक टाउनशिप जैसे कतिपय प्रमुख कार्यकलापों/अभिलक्षणों जैसे कि जी एन आई डी ए पर आधारित नहीं हैं।

(iii) आरपी-2021 के अनुसार, लक्षित शहरीय घनत्व प्राप्त करने के लिए सामूहिक आवासन केन्द्रों में घनत्व को 1650 पी पी एच ए से बढ़ाकर 2100 पी पी एच ए कर दिया गया है ताकि, पुनर्घनीभवन (रीडैन्सफिकेशन) को बढ़ावा दिया जा सके। इस संबंध में, अधिकतम स्वीकार्य एफ ए आर को सामूहिक आवासन प्लाटों में 2.75 से बढ़ाकर 3.3 कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके प्रमाव से आशा है कि घनत्व और एफ ए आर बढ़ाने से पूर्व नियोजित सेक्टरों में करीब 1,31,056 अतिरिक्त लोगों की वृद्धि होगी। करीब 59 सामूहिक आवासन परियोजनाओं को उच्च घनत्व वाले क्रय योग्य एफएआर के प्रावधानों के साथ मंजूरी दी गई है जिसमें अब तक 1,13,380 लोगों की संख्या बढ़ी है।

(iv) औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डी एन आई डी सी परियोजनाओं नामतः एकीकृत टाउनशिप, मल्टीमॉडल लाजिस्टिक हब तथा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब को जीएनआईडीए मास्टर प्लान-2021 में समेकित किया गया है। दादरी-नोएडा -गाजियाबाद इंवेस्टमेंट क्षेत्र (डीएनजीआईआर) को भी जीएनआईडीए मास्टर प्लान के साथ जोड़ा और समेकित किया गया है।

(v) वाईईआईडीए में जेवर हवाई अड्डा के विकास से ग्रेटर नोएडा शहर में जनसंख्या का विकास होगा। ग्रेटर नोएडा उन महत्वपूर्ण शहरों मे से एक है जिनकी तीन हवाई अड्डों के साथ संपर्कता (कनेक्टिविटी) है। संपर्कता (कनेक्टिविटी) के बढ़ने से शहर की जनसंख्या बढ़ने की आशा है।

7.6.6 ऐसा देखा गया है कि आरपी-2021 में उप-पैरा 17.4.1 (क) पर तालिका 17.10 में उल्लिखित घनत्व मानदंड सामान्य शहरों/कस्बों के लिए सुझाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा एक विशेष उद्देशीय टाउनशिप है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि जीएनआईडीए तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों तथा कार्यों यथा एफएआर में वृद्धि, जेवर हवाई अड्डा की स्थापना, डीएमआईसी परियोजनाओं के जरिए ग्रेटर नोएडा की जनसंख्या घनत्व बढ़ाने के लिए जैसा कि आरपी-2021 में 150-200 पीपीएचए के रूप में सुझाया गया है, प्रयास किए गए हैं। पर्यावरण मास्टर प्लान के संबंध में जीएनआईडीए ने बताया है कि ग्रेटर नोएडा के पर्यावरणीय मास्टर प्लान को तैयार करने का प्रावधान भी जीएनआईडीए प्लान -2021 के अध्याय 7.14 में शामिल किया गया है क्योंकि "ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान-2021 की पर्यावरण मंजूरी एसईआईएसी द्वारा प्रदान कर दी गई है और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना मास्टर प्लान-2021 का एक अभिन्न भाग होगी" तथा जीएनआईडीए ने पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को वर्ष 2013 में अनुमोदित कर दिया था।

प्रस्तावः

मामले को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29 के तहत जारी नोटिस पर मार्गदर्शन हेतु बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

कार्यसूची की मद सं.8: प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र पर नोटिस की स्थिति

8.1 एनसीआरपीबी सचिवालय ने समस्त उप-क्षेत्र के एनसीज़ेड एरिया में पाई गई विभिन्नताओं के संबंध में दिनांक 23.06.2014 के पत्र के माध्यम से एनसीआरपीबी अधिनियम 1985 की धारा 29 (2) के तहत नोटिस जारी किए थे।

8.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को जारी नोटिस

8.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली उप-क्षेत्र के संबंध में बोर्ड ने 13.09.2020 को हुई अपनी 38वीं बैठक में उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के इस बयान को नोट किया कि चूंकि दिल्ली के लिए एसआरपी-2021 तीन महीने में प्रतयाशित हैं, इसलिए आशा है कि यह आवश्यक एनसीज़ेड नक्शा के ब्योरे के साथ होगा।

8.2.2 बोर्ड के निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा दि.वि.प्रा. को दिनांक 29.11.2019 के पत्र के तहत संसूचित किए गए थे। चूंकि इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, इसलिए दिनांक 12.02.2020 को अनुस्मारक भेजा गया।

8.2.3 मामले को आगे 68वीं योजना समिति में उठाया गया जिसमें विशेष सचिव, शहरी विकास, जीएनसीटीडी (GNCTD) ने सूचित किया कि रिपोर्ट दि.वि.प्रा. को भेजी गई थी, तथापि, दि.वि.प्रा. ने यह कहते हुए इसे शहरी विकास विभाग को वापस भेज दिया है कि दि.वि.प्रा. ने अपना हिस्सा कर दिया है और अन्य क्षेत्रों के लिए शहरी विकास विभाग को संबंधित विभागों से इस कार्य को कराया जाना है। उन्होंने आगे सूचना दी कि इस मामले पर विशेष सचिव, दिल्ली की अध्यक्षता में एक बैठक 18.03.2020 को नियत की गई है।

8.2.4 इसके बाद दिनांक 2.07.2020 और 02.09.2020 को अनुस्मारक भेजे गए क्योंकि अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई थी|

8.2.5 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा दि.वि.प्रा. बोर्ड को इससे अवगत कराएं।**

प्रस्तावः
मामले को बोर्ड के समक्ष सूचना तथा आवश्यक निर्देश हेतु रखा गया है।

8.3 हरियाणा सरकार को जारी नोटिस

8.3.1 हरियाणा के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्शों के बाद बोर्ड ने अपनी 38वीं बैठक में निर्णय लिया कि सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए जो एनसीज़ेड हरियाणा के मुद्दों की जांच 3 सप्ताहों में करेगी। अध्यक्ष ने यह बात दोहराई कि जैसा कि पहले भी अनुदेश दिया गया था, हरियाणा सरकार को अपने राजस्व अभिलेखों से एनसीज़ेड की भूमि की

वस्तविक जांच (ग्राउंड ट्रुथिंग) करवानी है और तद्नुसार एनसीज़ेड क्षेत्रों को अंतिम रूप देना है। इस संबंध में हरियाणा अपनी राज्य स्तरीय समिति की बैठक यथाशीघ्र बुलाए और सचिव, एचयूए की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष एसएलसी रिपोर्ट आगे की जांच हेतु प्रस्तुत करे।

8.3.2 बोर्ड के निर्णयानुसार हरियाणा के एन सी ज़ेड मुद्दों की बोर्ड के निर्णय के अनुसार जांच करने के लिए सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य की अध्यध्क्षता में एक समिति दिनांक 02.12.2019 के आदेश के तहत गठित की गई (आदेश की प्रति **अनुबंध -8/I** पर)।

8.3.3 एनसीआरपीबी ने दिनांक 21.11.2019 के पत्र के तहत हरियाणा सरकार को बोर्ड के निर्णयों की सूचना इस अनुरोध के साथ दी कि एसएलसी की बैठक शीघ्र बुलाई जाए और यथाशीघ्र इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

8.3.4 इसके अतिरिक्त, दिनांक 23.12.2019 को सदस्य-सचिव की ओर से एक अर्ध-शासकीय पत्र मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को समिति के गठन की सूचना देते हुए तथा उक्त रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए भेजा गया ताकि समिति की बैठक आयोजित की जा सके।

8.3.5 तदनुसार, हरियाणा सरकार ने दिनांक 03.02.2020 की अपनी ई-मेल के माध्यम से हरियाणा उप-क्षेत्र में एन सी ज़ेड के अंतर्गत क्षेत्रों की भूमि की वस्तविक जांच (ग्राउंड ट्रुथिंग) के संबंध में दिनांक 16.12.2019 को आयोजित एसएलसी (एनसीज़ेड) बैठक के कार्यवृत्त की प्रति अग्रेषित की (**अनुबंध - 8/II**)। कार्यवृत्त के अनुसार, हरियाणा सरकार के एन सी ज़ेड प्रस्ताव को अगली बैठक में अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

8.3.6 हरियाणा राज्य सरकार ने 16.12.2019 को आयोजित एस एल सी बैठक के आधार पर विचार संसूचित करने के लिए एनसीआरपीबी कार्यालय को दिनांक 06.03.2020 को पत्र भेजा है (**अनुबंध - 8/III**)। किंतु यह पाया गया है कि एसएलसी बैठक अनिर्णयात्मक रही है। हरियाणा सरकार के इस उक्त पत्र में केवल विभिन्न जिलों से भूमि की वस्तविक जांच (ग्राउंड ट्रुथिंग) रिपोर्ट संलग्न की गयी है और पूर्ववर्ती सूचना जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावित एनसीज़ेड का कुल क्षेत्र 64,384.66 हेक्टेयर है, के विपरीत एनसीज़ेड में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का और ना तो एनसीज़ेड से हटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का सारांश है और यह कहा गया कि यह अंतिम नहीं है तथा एनसीज़ेड की भूमि की वस्तविक जांच (ग्राउंड ट्रुथिंग) के लिए एसएलसी के अनुमोदन द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उसके बाद ही एनसीज़ेड के अंतर्गत अंतिम क्षेत्र की सूचना दी जाएगी। यह भी संसूचित किया गया है कि "अभी निर्णय लिया जाना है" के रूप में उल्लिखित क्षेत्र एसएलसी के पास जाएगा। तत्पश्चात् 16.12.2019 को एक एसएलसी बैठक की गई किन्तु इस बैठक के कार्यवृत्त में इन "अभी निर्णय लिया जाना है" क्षेत्रों के संबंध में कोई निर्णय का उल्लेख नहीं है। इसे दिनांक 06.05.2020 के पत्र में भी स्पष्ट नहीं किया गया है। 06.05.2020 के इस पत्र में हरियाणा सरकार के जुलाई, 2019 के पूर्ववर्ती पत्र का भी उल्लेख नहीं है जिसमें अंतरिम एनसीज़ेड क्षेत्र की संसूचना दी गई थी और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उस पत्र को इस पत्र द्वारा

वापस ले लिया गया है या आशोधित कर दिया गया है। दिनांक 06.05.2020 के इस पत्र में भी कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिनका संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया हैः-

i. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मई 1992 की अधिसूचना का लागू होना
ii. अरावली की परिभाषा
iii. माननीय उच्चतम न्यायालय का 1996 के टी.एन. गोदवर्मन तिरूमुल्कप मामले में निर्देश
iv. भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत विनियमित क्षेत्र
v. पीएलपीए 1900 के तहत अधिसूचित आवासित भूमि का अपवर्जन
vi. 2005 से पूर्व एनसीज़ेड की प्रयोज्यता
vii. 2005 से पहले पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अनुमत खनन गतिविधियों की विधिमान्यता
viii. एनआरएससी द्वारा प्रौद्योगिकीय स्पष्टीकरण
ix. एनसीआर के सभी चार प्रतिभागी राज्यों में एनआरएससी द्वारा 10% क्षेत्र को जांच मामले के रूप में सत्यापित किया जाए

8.3.7 तदनुसार, दिनांक 29.05.2020 का एक पत्र (**अनुबंध - 8/IV**) पीएस, टीसीपी विभाग, हरियाणा सरकार को स्पष्ट एनसीज़ेड प्रस्ताव तथा समिति के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए भेजा गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.06.2020 तथा 02.09.2020 को मुख्य सचिव, हरियाणा को सदस्य-सचिव, एनसीआरपीबी द्वारा अनुरोध-पत्र भेजे गए थे जिनमें हरियाणा सरकार से स्पष्ट एनसीज़ेड प्रस्ताव का अनुरोध किया गया है। हरियाणा सरकार से इस संबंध में अब तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

8.3.8 इसके अलावा, एम ओ एच यू ए को दिनांक 11.09.2020 के यूओ नोट के माध्यम से अवगत कराए जाने सहित नियमित रूप से अवगत कराया गया है।

8.3.9 इसी बीच, वर्ष 1999 तथा 2012 से संबंधित उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हुए नक्शों के संबंध में हरियाणा सरकार के दिनांक 06.05.2020 के पत्र द्वारा उठाए गए मुद्दों के भाग पर दिनांक 16.09.2020 को तकनीकी मापदंडों पर एनआरएससी से स्पष्ट संदर्भ सहित टिप्पणी मांगी गई है (**अनुबंध - 8/V**)। साथ ही, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से माननीय उच्चतम न्यायालय के 12.12.1996 के टी.एन गोदवर्मन तिरूमुल्कपद के मामले में निर्णय के अनुसार वन की परिभाषा, वन के वर्गीकरण के संदर्भ में मुद्दों सहित तकनीकी -विधिक मुद्दों के संबंध में अनुरोध किया गया है।

8.3.10 एनआरएससी (NRSC) तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त उत्तर एनसीज़ेड प्रस्ताव तथा स्पष्टीकरण, जब भी वे हरियाणा सरकार से प्राप्त होंगे, के साथ सचिव,

आवासन एवं शहरी कार्य की अध्यक्षता वाली समिति तथा बोर्ड के समक्ष उपलब्ध समयानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

8.3.11 **हरियाणा सरकार बोर्ड को अपने स्पष्ट एनसीज़ेड के बारे में अवगत कराए।**

प्रस्तावः
मामले को बोर्ड के समक्ष सूचना तथा मार्गदर्शन हेतु रखा गया है।

8.4 राजस्थान सरकार को जारी नोटिस

8.4.1 बोर्ड की पिछली बैठक में प्रधान सचिव, शहरी विकास तथा आवासन, राजस्थान सरकार ने उल्लेख किया कि अलवर जिले के लिए भूमि की वस्तविक जांच (ग्राउंड ट्रुथिंग) कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और एनसीज़ेड के चित्र के संबंध में एसआरपी को तीन माह के भीतर अद्यतित किया जाएगा।

8.4.2 बोर्ड के निर्णय राजस्थान सरकार को दिनांक 29.11.2019 के पत्र के माध्यम से संसूचित कर दिए गए। चूंकि इस मामले में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए 12.02.2020 को अनुस्मारक भेजा गया।

8.4.3 मामले को आगे 68वीं योजना समिति में उठाया गया जिसमें सीटीपी, एनसीआर सेल, राजस्थान ने कहा कि राज्य इस मामले को उच्च प्राथमिकता के आधार पर उठा रहा है और प्रधान सचिव, यूडीएच ने भी डीसी, अलवर को इस मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सीटीपी, एनसीआर सेल, राजस्थान ने यह भी बताया कि मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है किन्तु वह एक स्पष्ट समय-सीमा जिस समय तक कार्य पूरा होने की आशा है बताने में असमर्थ है।

8.4.4 **राजस्थान सरकार बोर्ड को अवगत कराए।**

प्रस्ताव:
मामले को बोर्ड के समक्ष सूचना और आवश्यक निर्देश हेतु रखा गया है।

8.5 उत्तर प्रदेश सरकार को जारी नोटिस

8.5.1 बोर्ड की पिछली बैठक में, उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के लिए एनसीज़ेड दर्जा के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश के एसआारपी में दिए गए एनसीज़ेड के आंकड़ों पर विचार किया गया और इन्हें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

प्रस्तावः

मामले को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29(2) के तहत जारी नोटिस पर निर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

कार्यसूची की मद सं. 9: पिछली बैठक में माननीय अध्यक्ष, एनसीआरपीबी के मार्गदर्शन के अनुसार चर्चा के लिए कार्यसूची के महत्वपूर्ण मुद्दे

बोर्ड की पिछली (38वीं) बैठक में, अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि एनसीआरपीबी इस मामले को देखे और अगली बोर्ड बैठक आयोजित करने से पहले एक आधुनिक दृष्टिकोण वाला एजेंडा रखा जाए (13.09.2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की कार्यसूची की मद सं. 7 पर)। यह सुझाव दिया गया था कि अनौपचारिक गहन विचारमंथन सत्रों को एनसीआर के प्रतिभागी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों के साथ आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि बोर्ड की भविष्य की बैठकों के लिए एक स्पष्ट कार्यसूची हो। इसलिए एनसीआरपीबी को क्षेत्रीय योजना 2041 की नीतियों और सिफारिशों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए और तदनुसार, शहरी और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ इस मामले पर गहन विचार करना चाहिए।

तदनुसार, एनसीआर के प्रतिभागी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, पूर्व में अवगत कराए गए अनुसार क्षेत्रीय योजना - 2041 तैयार करने के लिए, एनसीआर योजना बोर्ड सचिवालय निर्देशानुसार एनसीआर के प्रतिभागी राज्यों, विशेषज्ञों और केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ पूर्णदिवसीय व्यापक हितधारक परामर्शीय 17 सम्मेलनों में प्रमुख कारक रहा। इन कार्यशालाओं में प्राप्त सुझाव, विशेषज्ञों की समीक्षा आदि के विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक सुझाव के आधार पर, आरपी-2041 का मसौदा तैयार किया जा रहा है, फ़िलहाल निम्नलिखित मामले को बोर्ड के विचार और मार्गदर्शन के लिए रखा गया है।

9.1 दिल्ली में स्वच्छ यमुना नदी जल का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कदम

9.1.1 यमुना गंगा नदी प्रणाली का उप-बेसिन है। गंगा बेसिन के 861404 वर्ग किमी के कुल जलग्रहण क्षेत्र में से यमुना नदी और इसका जलग्रहण क्षेत्र कुल मिलाकर 345848 वर्ग किमी है, जो कुल गंगा नदी बेसिन (सीपीसीबी,1980-81;सीपीसीबी,1982) का 40.14% है। यह सात भारतीय राज्यों को शामिल करने वाला एक बड़ा बेसिन है। नदी के पानी का इस्तेमाल अपाकर्षी और धारा, दोनों उपयोगों के लिए किया जाता है जैसे कि सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति, औद्योगिक आदि। इसका मात्रा और गुणवत्ता दोनों में, अत्यधिक दोहन किया गया है। यह देखते हुए कि एक बड़ी आबादी नदी पर निर्भर है, पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसका महत्व है। नदी बिंदु और गैर-बिंदु दोनों स्रोतों से प्रदूषित होती है। लगभग, कुल प्रदूषण का 85% घरेलू स्रोत से है। काफी मात्रा में जल निकाले जाने के कारण स्थिति और खराब हो जाती है जिससे नदी की घुल क्षमता कम होती है|[1]

9.1.2 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2018 के आदेश के माध्यम से (श्री मनोज मिश्रा और अन्य के मामले में) एक यमुना निगरानी समिति का गठन किया ताकि हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में नालों से बहाव के नियंत्रण सहित दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के संबंध में अधिकरण के निर्णयों और आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखी जाए

तथा उसकी सूचना दी जाए;[2] साथ ही, पारिस्थितिकीय कारणों और प्रत्यक्ष जनलाभ के लिए नदी के पुनरुद्धार पर लक्षित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

9.1.3 रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत जिलों में अप्रशोधित औद्योगिक कचरा यमुना को प्रदूषित कर रहा है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को जल प्रदुषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत जिले के कुंडली में दोषी इकाइयों की पहचान करने और उन्हें बंद करने का आदेश दिया है। सीपीसीबी और केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) -नैशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) की एक संयुक्त टीम ने सभी तीन जिलों और विभिन्न स्थानों पर यमुना के पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण किया था और पाया कि औद्योगिक कचरे को बिना प्रशोधन के सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के कुछ उद्धरण **अनुबंध -9 / I** में रखे गए हैं।

9.1.4 यह ज्ञात रहे कि यमुना में स्वच्छ जल के प्रवेश से दिल्ली में जल प्रशोधन बोझ बहुत कम हो जाएगा। स्वच्छ जल की उपलब्धता से न केवल नदी मार्ग के आसपास जल जनित रोगों को कम किया जा सकेगा, बल्कि इससे मनोरंजन, स्वास्थ्य और फिटनेस, जैव विविधता गतिविधि आदि सहित बहुपक्षीय वाटर फ्रंट गतिविधियों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी । स्वच्छ यमुना के पानी का उपयोग दिल्ली में/के निकट जल एरोड्रम की व्यवहार्यता की जांच के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, इससे चल रही चरणबद्ध अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आ सकती है।

प्रस्ताव:
मामले को मार्गदर्शन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

9.2: क्षेत्रीय योजना - 2041 के लिए सुझाव

9.3: अन्य मुद्दे, यदि कोई हों

---

[1] http://www.yamunariverproject.org/assets/teri_current-condition-of-the-yamuna-river.pdf
[2] https://yamuna-revival.nic.in/wp-content/uploads/2020/07/Final-Report-of-YMC-29.06.2020.pdf

कार्यसूची की मद सं. 10: सांविधिक उपबंधों के संबंध में मदों का अनुमोदन

10.1: वित्त वर्ष 2018-19/2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित/गैर-परीक्षित वार्षिक लेखे

10.1.1: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित वार्षिक लेखे|

10.1.2: बोर्ड के वार्षिक लेखों को सरकार द्वारा निर्धारित तथा एनसीआर योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 33 के साथ पठित एनसीआर योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत यथा नियत प्ररूप में रखा जाता है। लेखा परीक्षा और संव्यवहार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से वाणिज्यिक ऑडिट, नई दिल्ली के प्रधान निदेशक द्वारा किया गया है।

10.1.3: वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों की स्थिति बोर्ड की 38 वीं बैठक में बोर्ड के सदस्यों को उनकी स्वीकृति और सूचना के लिए रखी गई थी। सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित वार्षिक लेखा 2018-19 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए 2.12.2019 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया था। इन्हें **अनुबंध 10.1.3/I** के अनुसार दिनांक 12.12.2019 को लोकसभा और 13.12.2019 को राज्यसभा के पटल पर रखा गया है। वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित वार्षिक लेखा 2018-19 की प्रति **अनुबंध 10.1.3 / II** पर है।

10.1.4: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा।

10.1.5: बोर्ड के वार्षिक लेखों को सरकार द्वारा निर्धारित और एनसीआर योजना बोर्ड नियम 1985 के नियम 33 के साथ पठित एनसीआर योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत यथा नियत प्ररूप में रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखे को 22.3.2004 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सदस्य-सचिव द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था, जिसमें सदस्य-सचिव को शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है अर्थात "बोर्ड के लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किए जाने से पहले बोर्ड की ओर से सदस्य-सचिव द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित किया जाना चाहिए"। तदनुसार, सदस्य-सचिव द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से ऑडिट के लिए नई दिल्ली स्थित वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के मुख्य निदेशक के कार्यालय को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.8.2020 से 28.8.2020 तक लेखा परीक्षा की गई है, लेकिन प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

10.1.6: वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की गई है और इसे **अनुबंध 10.1.6 / III पर** रखा गया है।

प्रस्ताव:

- **मामले को अनुसमर्थन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।**
- **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।**
- **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखों की स्थिति बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखी गई है।**

कार्यसूची की मद सं. 10.2 : एनसीआरपीबी नियम,1985 के नियम 47 (1) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा बकाया ऋणों और संदत्त अग्रिमों का वार्षिक विवरण।

10.2.1 एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 47 (1) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा बकाया ऋणों और संदत्त अग्रिमों का वार्षिक विवरण।

10.2.2 एनसीआर योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 47(1) के परन्तुक वर्ष 2018-19 के लिए बकाया ऋण / अग्रिम का वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्र "जी" में प्रस्तुत किया गया है, फॉर्म "जी" अनुबंध - 10.2.2 / I पर संलग्न है ।

10.2.3 बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऋण और अग्रिम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष 2019-20

(रुपए करोड़ ***में)***

संदत्त ऋण/अग्रिम	**चुकाया गया मूल**	**प्राप्त ब्याज**	**मूल/ब्याज के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम की राशि ***	बकाया ऋण /अग्रिम **(मूल)**
993.44	329.57	295.51	उधारकर्ता एजेंसियों द्वारा ऋण/ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं	**4897.68**

नोट: 03.04.2019 को 3,66,67,000 की राशि (मूल) तथा 2,22,75,000/-की राशि(ब्याज) देय भी किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण से 29.03.2019 को प्राप्त हुई।

10.2.4 विगत चार वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा जारी ऋण का ब्यौरा नीचे सूचीबद्ध है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	**प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून)**	**द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर)**	**तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर)**	**चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च)**	**कुल**
2016-17#	134.62	310.89	812.78	396.19	**1654.48**
2017-18#	273.00	795.70	338.70	288.03	**1695.43**
2018-19	192.63	300.59	185.29	314.93	**993.44**
2019-20	200.02	152.80	-	443.14	**795.96**
2020-21**	92.33	36.49	-	-	**128.82**

** 15.9.2020 तक

नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एन एम आर सी) को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रमश: 580 करोड़ रूपए तथा 550.00 करोड़ रुपए का ऋण जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान 457 करोड़ रुपए की शेष ऋण राशि जारी किये जाने हेतु नियत की गई थी। तथापि, 300.00 करोड़ रुपए एन एम आर सी को 31.03.2020 को जारी किए गए।

प्रस्ताव:

मामले को एनसीआर योजना बोर्ड नियम, 1985 के पैरा 47 (1) में यथा निर्धारित सूचना हेतु बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

10.2.5 एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण की स्थिति

10.2.5.1 एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा विभिन्न तरह की परियोजनाओं के लिए प्रदत्त ब्याज की चालू दर तथा ऋण सहायता संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्योरा नीचे सूचीबद्ध है:-

परियोजना के प्रकार	**ब्याज दर**	**अवधि**
मेट्रो/द्रुत रेल/आर आर टी एस	7.00% प्रति वर्ष	मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए 5 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 20 वर्ष
प्राथमिकता वाली अवसंरचनात्मक परियोजाएं अर्थात जल आपूर्ति सीवरेज, सफाई, जल-निकास तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	7.00% प्रति वर्ष	मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 15 वर्ष
सड़क, रोड ओवरब्रिज एवं फ्लाई ओवर, रोड अंडर ब्रिज, एक्सप्रेसवे, वहनीय/ई डब्ल्यू एस आवास	7.00% प्रति वर्ष	मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम 10 वर्ष
पावर सेक्टर प्रोजेक्ट- उत्पादन संचरण एवं वितरण	7.50% प्रति वर्ष	
भूमि विकास परियोजनाएं - रिहायशी/औद्योगिक/वाणिज्यिक तथा अन्य अवसंरचना अर्थात तकनीकी/चिकित्सा संस्थाएं	8.50% प्रति वर्ष	

- ऋण किस्तों के पूर्णतया पुन अनुसूची के अनुसार समय पर भुगतान के लिए, ब्याज दर में कमी के द्वारा 0.25% की छूट उपलब्ध होगी।
- परियोजना लागत की 15% तक की अनुदान सुविधा भी जल और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित समय और लागत के भीतर निष्पादन, ई एस एम एस आवश्यकताओं के पालन के अध्यधीन और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

10.2.5.2 जून 2020 तक, बोर्ड ने 31464 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 360 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से 15105 करोड़ की राशि को ऋण के

रूप में मंजूर किया गया है। बोर्ड ने जून 2020 तक लगभग 12361 करोड़ रूपए की ऋण राशि जारी की है। बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 360 परियोजनाओं में से 265 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 95 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्ण और चालू परियोजनाओं सहित उप-क्षेत्रवार ब्योरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	**राज्य**	**स्थिति**	**परियोजनाओं की संख्या**	**अनुमानित लागत**	**स्वीकृत ऋण**	**एनसीआरपीबी द्वारा जारी ऋण**
	राजस्थान	**चालू**	54	3437	2427	2019
1	[सीएमए - जयपुर सहित]	**पूर्ण**	30	1679	631	595
	उप योग		**84**	**5116**	**3058**	**2614**
	उत्तर प्रदेश	**चालू**	6	7005	2549	2332
2	[सीएमए - बरेली सहित]	**पूर्ण**	51	2117	919	681
	उप योग		**57**	**9122**	**3468**	**3013**
	हरियाणा	**चालू**	31	1566	1076	543
3	[सीएमए - हिसार सहित]	**पूर्ण**	176	13985	6355	5682
	उप योग		**207**	**15551**	**7431**	**6225**
	एन सी टी -	**चालू**	2	467	350	20
4	दिल्ली	**पूर्ण**	2	521	310	310
	उप योग		**4**	**988**	**660**	**330**
	सीएमए -	**चालू**	0	0	0	0
5	पटियाला पंजाब में	**पूर्ण**	2	79	46	46
	उप योग		**2**	**79**	**46**	**46**
	सीएमए -	**चालू**	2	475	341	32
6	ग्वालियर मध्य प्रदेश में	**पूर्ण**	4	134	101	101
	उप योग		**6**	**609**	**442**	**133**
		चालू	**95**	**12949**	**6743**	**4946**
	कुल	**पूर्ण**	**265**	**18515**	**8362**	**7415**
	महायोग		**360**	**31464**	**15105**	**12361**

प्रस्ताव: मामले को बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु रखा गया है

कार्यसूची की मद सं.10.3: एनसीआरपीबी नियम, 1985 47 (2) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त बकाया ऋणों तथा अग्रिमो का वार्षिक विवरण

10.3.1 एनसीआर योजना बोर्ड नियम 1985 के नियम 47(2) के परन्तुक वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त बकाया ऋणों / अग्रिमों का वार्षिक विवरण फॉर्म "एच" में जमा किया जाता है, फॉर्म "एच" अनुबंध 10.3.1 / I पर रखा गया है।

10.3.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋणों / अग्रिमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

I. ब्याज / प्रतिबद्धता शुल्कों के कारण देय सभी भुगतानों का निवेशकों और बाहरी फंडिंग एजेंसियों को समय पर संदाय किया गया है। बोर्ड की ओर से किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान पर कोई चूक नहीं है;

II. **घरेलू उधार**:

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कोई घरेलू उधार नहीं लिया गया है।

10.3.3 बाह्य उधार:

10.3.3.1 **बकाया बाह्य उधार** अर्थात एशियाई विकास बैंक और केएफडब्ल्यू (जर्मन डेवलपमेंट बैंक) से 30 जून, 2020 तक ऋण रु. 1,44.46 करोड़ है;

10.3.3.2 एशियाई विकास बैंक:

(i) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक मल्टी-ट्रेन्च फाइनेंसिंग सुविधा के रूप में एनसीआरपीबी को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। 17.3.2011 को ए डी बी और एनसीआरपीबी के बीच 78 मिलियन अमेरिकी डालर की पहले भाग के लिए ऋण समझौता हुआ। 78 मिलियन अमरीकी डालर के ट्रेंच -1 ऋण राशि में से, 18.01 मिलियन अमरीकी डालर को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने पहले ही ट्रेन 1 के लिए 31.12.2014 की ऋण समापन तिथि तक 59.99 मिलियन अमेरिकी डालर (भारतीय रुपए 352.06 करोड़) की पूरी ऋण राशि का उपयोग कर लिया है। ब्याज की दर 6 महीने के लिबोर + मार्जिन पर आधारित है, जो कि एडीबी द्वारा संबंधित छमाही की देय अवधि की उनकी लागत के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। पुनर्भुगतान की अवधि मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 5 वर्ष के मोरेटोरियम के साथ 25 वर्ष है।

बोर्ड एडीबी को अपने बकाये का नियमित भुगतान करता रहा है। 30.6.2020 तक एडीबी का कुल बकाया ऋण (पुनर्भुगतान के बाद) 54.52 मिलियन अमेरिकी डालर (भारतीय रुपए 411.80 करोड़) है।

(ii) ऋण सेवा: बोर्ड एडीबी को अपने बकाये का नियमित भुगतान करता रहा है। अब तक, बोर्ड ने ब्याज तथा प्रतिबद्धता शुल्कों के रूप में ए डी बी को 39.38 करोड़ रु. (5.79 मिलियन यू एस डालर) का भुगतान किया है। इसके अलावा, बोर्ड ने अगस्त, 2020 तक ए डी बी को मूल बकाये के लिए 43.02 करोड़ की धनराशि (6.25 मिलियन अमेरिकी डालर) का भुगतान किया है।

10.3.3.3 के एफ डब्ल्यू - (जर्मन विकास बैंक):

(i) जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के लिए यूरो 100 मिलियन + यूरो 1 मिलियन अनुदान के ऋण समझौतों पर क्रमश: दिनांक 9.2.2012 और 30.3.2012 को हस्ताक्षर किए गए। पुनर्भुगतान की अवधि मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 5 वर्ष की मोरेटोरियम के साथ 15 वर्ष होगी। ऋण 1.83% प्रति वर्ष की निर्धारित ब्याज दर पर है। बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से यूरो 100 मिलियन की प्रतिपूर्ति का दावा किया है और प्राप्त किया है।

बोर्ड केएफडब्ल्यू को अपने बकाये का नियमित भुगतान करता रहा है। 30.06.2020 तक केएफडब्ल्यू ऋण का कुल बकाया ऋण (पुनर्भुगतान के बाद) यूरो 70 मिलियन (भारतीय रुपए 592.66 करोड़) है।

(ii) **ऋण सेवा:** बोर्ड केएफडब्ल्यू को अपने बकाये का नियमित भुगतान भी करता रहा है। बोर्ड ने जून 2020 तक ब्याज तथा प्रतिबद्धता शुल्कों के रूप में केएफडब्ल्यू को 51.29 करोड़ रुपये (6.56 मिलियन यूरो) का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने जुलाई 2020 तक केएफडब्ल्यू को बकाये मूल के लिए 280.37 करोड़ रूपए (35 मिलियन यूरो) की राशि चुकाई है।

(iii) इसके अतिरिक्त, केएफडब्ल्यू ने 29 फरवरी से 5 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान एक अंतिम समीक्षा बैठक की। बैठक का कार्यवृत्त अनुबंध 10.3.3.3/II पर है।

प्रस्ताव:
मामले को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया है।

कार्यसूची की मद सं. 10.4 : एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 29 के अनुसार "राजस्व" और पूंजी शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्राक्कलन का अनुमोदन।

10.4.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन 2020-21 दिनांक 9.10.2019 के पत्र संख्या ब-20018 (7)/2019-20/एफ एंड ए/एनसीआरपीबी के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे। 2019 (**अनुबंध -10.4.1/I**)। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए पूंजी और राजस्व बजट प्राक्कलन का विवरण:

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलन 2019-20**	**संशोधित प्राक्कलन 2019-20**	**बजट प्राक्कलन 2020-21 (प्रस्तावित)**	**बजट प्राक्कलन 2020-21 (अनुमोदित)**
1.	पूंजी- लेखा शीर्ष : (2217.02.191.01.00.32) "एनसीआरपीबी निधि में "अंशदान"	50.00	50.00	100.00	50.00
2.	राजस्व - लेखा शीर्ष : (2217.02.191.01.0036 सहायता अनुदान -वेतन) और (2217.02.191.01.0031 सहायता अनुदान - सामान्य)	4.00 1.10	4.00 1.10	10.00 2.00	4.00 1.10

नोट: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 8.4.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्रेणी-सी के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी-सी के लिए तिमाही I और II में बजट प्राक्कलन 2020-21 के 15% के भीतर समग्र व्यय निर्धारित किया गया है। तदनुसार रु.16.54 करोड़ (पूंजीगत अनुदान के रूप में रु.14.20 करोड़ और राजस्व अनुदान के रूप में रु.2.34 करोंड़) अब तक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

10.4.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऊपर यथा उल्लिखित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत एनसीआरपीबी के अनुमानित आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई एंड ईबीआर) इस प्रकार हैं:

(रुपए करोंड़ में)

क्रम सं.	**आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन**	**बजट प्राक्कलन 2019-20**	**बजट प्राक्कलन 2020-21**
1.	आंतरिक संसाधन (निवल)	125.00	235.00
2.	अतिरिक्त बजटीय संसाधन (बांड्स तथा बाह्य उधार सहित)	1000.00	1000.00
		कुल 1125.00	1235.00

प्रस्ताव:

वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्राक्कलन, दोनों पूंजी और राजस्व शीर्षों के अंतर्गत, को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा, सदस्य-सचिव, एनसीआरपीबी को बांड, वाणिज्यिक पत्र और/या बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता एजेंसियों से उधार लेकर एनसीआरपीबी के संसाधन जुटाने के कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। सदस्य-सचिव, एनसीआरपीबी को इस संबंध में अपेक्षित विभिन्न अनुमोदनों/औपचारिकताओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 39वीं बैठक का कार्यवृत्त, जो श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 05.10.2020 को दोपहर 02:00 बजे सम्मेलन कक्ष सं 123-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अध्यक्ष और सभी प्रतिभागियों व बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों **(अनुबंध-I)** का स्वागत किया और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अब तक किए गए कार्यों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। दो क्षेत्रीय योजनाओं 2001 और 2021 के अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्ययनों ने परिधीय एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस आदि की अवधारणाएं दी हैं। नोएडा मेट्रो, अमानीशाह नाले (द्रव्यवती नदी) का पुनर्विकास, जयपुर; गाजियाबाद में 6 लेन एलिवेटेड रोड के साथ 52 कि.मी. केएमपी एक्सप्रेसवे का विस्तार; सिविक सेंटर, एमसीडी, 500 बेड का मेडिकल कॉलेज, मेवात; मेवात जलापूर्ति योजना, आईएमटी मानेसर; हरियाणा में 70 कि.मी. जल आपूर्ति चैनल आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 बड़ी परियोजनाओं को दर्शाया गया।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों का स्वागत किया और कार्यसूची के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया ।

कार्यसूची मद संख्या 1: बोर्ड की 13.09.2019 को सम्पन्न 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

हालांकि, उ.प्र., राजस्थान और दिल्ली की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा और महानिदेशक, नगर एवं ग्राम विकास, हरियाणा ने कहा कि पिछली बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं को पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, उन्होंने रिकॉर्डिंग की एक प्रति का अनुरोध किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।

सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बोर्ड को अवगत कराया कि सदस्यों/प्रतिभागियों को बोर्ड द्वारा रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि पूर्व मे कभी नहीं दी गई है, इसलिए यह नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की लंबी बैठक के विस्तृत मिनटों की आवश्यकता नहीं है और केवल चर्चा और निर्णय के मुख्य बिंदुओं को सुविधा के लिए दर्ज किया जाता है। हालांकि, सचिव,

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सदस्यों/प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि यदि कार्यवृत्त को संशोधित करने की आवश्यकता है तो वे अपनी विशेष टिप्पणियाँ रख सकते हैं जिस पर अध्यक्ष की स्वीकृति से विचार किया जा सकता है।

चूंकि हरियाणा से आपत्ति एनसीजेड के विषय पर थी, इसलिए यह सहमति हुई कि इस बैठक में उचित कार्यसूची मद पर इस मामले पर चर्चा की जा सकती है। तदनुसार, गत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

इसके अलावा, अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि ड्राफ्ट कार्यवृत्त को भागीदार राज्यों के साथ उनकी टिप्पणियों यदि कोई हो, के लिए साझा किया जा सकता है, और यदि 7 दिनों की अवधि के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी ओर से अंतिम माना जाएगा और फिर अनुमोदन किया जा सकता है।

निर्णय: गत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी गई।

कार्यसूची मद संख्या 2: 13.09.2019 को सम्पन्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई।

मद संख्या 1, 2, 3, 4, 11, 12 और 19 के लिए एटीआर एजेंडा आइटम नंबर 2 के तहत निहित कार्रवाई/स्थिति को नोट किया गया। कार्यसूची मद संख्या 2 के तहत उल्लिखित संख्या 5.3, 6, 7, 9, 18 पर अलग-अलग कार्यसूची मद के अंतर्गत विचार किया गया जो कि एटीआर के रूप में नोट किया गया था। एटीआर कार्यसूची मद 2 के अंतर्गत संख्या 5.1, 5.2, 5.3, 8 और 10 पर चर्चा और विचार इस प्रकार हैं:

कार्यसूची मद संख्या 5.1 (एटीआर): हरियाणा उप-क्षेत्र मे नए जोड़े गए क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट उप-क्षेत्रीय योजना-2021:

नए जोड़े गए जिलों के लिए ड्राफ्ट उप-क्षेत्रीय योजना -2021 के बारे में कार्यसूची मद 5.1 पर एटीआर के अंतर्गत चर्चा की गई। सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी ने बोर्ड को हरियाणा क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करने और विस्तृत प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ) चित्रण और बोर्ड की 3 टिप्पणियों के अनुपालन के विषय में अवगत कराया। सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी ने अवगत कराया कि पिछली बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार, कैथल के संदर्भ को हटाया जाना था क्योंकि यह एनसीआर का हिस्सा नहीं है। करनाल की जनसंख्या के आंकड़ों को उनकी क्षेत्रीय योजना के

आंकड़ों के अनुसार ठीक किया जाना था। अंत में, प्रतिभागी राज्य हरियाणा को दिसंबर 2019 तक प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र का परिसीमन कर उप-क्षेत्रीय योजना में संशोधन करना था।

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी प्रतिभागियों को यह स्पष्ट किया कि एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा-19 के अनुसार, बोर्ड उप-क्षेत्रीय योजनाओं (SRP) का अनुमोदन नहीं करता है। अधिनियम यह प्रावधान करता है कि क्षेत्रीय योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाओं की जांच की जाएगी और बोर्ड अपनी टिप्पणियाँ देगा। उप-क्षेत्रीय योजना को तदनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्यों द्वारा प्रकाशित किया जायेगा और बोर्ड को सूचना दी जायेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछली बैठक में केवल तीन टिप्पणियों जो बताया गया और राज्य सरकार को इस पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस मामले में गत बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बोर्ड की 3 टिप्पणियों पर आवश्यक कार्रवाई के अलावा, प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र का परिसीमन दिसंबर, 2019 तक हरियाणा द्वारा किया जाएगा, उप-क्षेत्रीय योजना तदनुसार संशोधित होगी।

हरियाणा के प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र और चार से अब पांच अतिरिक्त जिलों (चरखी दादरी को भिवानी से अलग करने के बाद) के उप-क्षेत्रीय योजना के मामले पर चर्चा की गई। हरियाणा ने बताया कि सितंबर, 2019 में गत बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार, एनसीजेड को छोड़कर बोर्ड की अन्य सभी टिप्पणियों का अनुपालन किया गया है। यह चर्चा की गई थी कि क्षेत्रीय योजना-2021 में सैटेलाइट इमेजरी द्वारा उल्लिखित प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र अस्थायी है और राज्यों द्वारा विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है, प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के विभिन्न तत्वों, पिछले बोर्ड बैठकों और भारत सरकार की विभिन्न बैठकों में दी गई परिभाषा के अनुसार। इसके अलावा, हरियाणा राज्य सरकार प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के तहत आने वाले क्षेत्रों को सैटेलाइट इमेजरी, राजस्व रिकॉर्ड, ग्राउंड ट्रूथिंग के अनुसार एनसीजेड की परिभाषा / श्रेणीकरण के अनुसार रीजनल प्लान -2021 में प्रदान करे और सूचना बोर्ड को भेजे।

"हरे क्षेत्रों" के बजाय "वन क्षेत्रों" शब्द का उपयोग करने के लिए पिछली बोर्ड बैठक के निर्णय के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। हरियाणा राज्य ने "हरित क्षेत्र" के बजाय "वन क्षेत्रों" शब्द पर विचार करने का मुद्दा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया कि उपग्रह चित्र केवल एक प्रारंभिक अध्ययन छवि है और किसी भी ग्राउंड-ट्रूथिंग के बिना केवल उपग्रह इमैजरी पर निर्भर होने से एक विकृत चित्र बनेगा।

निर्णय: यह तय किया गया था कि हरियाणा राज्य सरकार सैटेलाइट इमेजरी, राजस्व रिकॉर्ड और क्षेत्रीय योजना-2021 में उपलब्ध प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की परिभाषा / वर्गीकरण, ग्राउंड-ट्रूथिंग के अनुसार प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को अंतिम रूप देगी। जहां तक एम.ओ.ई.एफ. अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के आधार पर अरावली के परिसीमन का संबंध है, हरियाणा सरकार राजस्व रिकॉर्ड, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड ट्रूटिंग के आधार पर निर्णय करेगी। इसके बाद, एनसीआरपीबी अधिनियम के अनुसार बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने तदनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

कार्र्वाई: हरियाणा सरकार

कार्यसूची मद संख्या 5.2 (एटीआर): एनसीआर के राजस्थान उप-क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रारूप पर विचार:

राजस्थान को भरतपुर जिले के उप-क्षेत्रीय योजना को प्रकाशित करने के लिए माननीय मंत्री द्वारा बधाई दी गई, जिस पर बोर्ड की सितंबर, 2019 को हुई बैठक में विचार किया गया था।

निर्णय: राजस्थान द्वारा किए गए परिवर्तन नोट किए गए और राजस्थान द्वारा समयावधि बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार किया गया।

कार्रवाई: एनसीआरपीबी

कार्यसूची मद संख्या 8 (एटीआर): अन्य नोटिस: उ.प्र. एस.आर.पी.-2021 के ज़ोनिंग विनियमों की गैर-अनुरूपता के लिए एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 29 (2) के तहत जारी नोटिस

एनसीआर सेल, उ.प्र. के प्रस्ताव के अनुसार उ.प्र. उप-क्षेत्रीय योजना-2021 के ज़ोनिंग विनियमों में संशोधन को मंजूरी देने के लिए उ.प्र. सरकार की सराहना की गई। उ.प्र. सरकार की स्वीकृति दिनांक 01.10.2020 को जारी की गई थी।

निर्णय: बोर्ड ने मामले को बंद करने और नोटिस वापस लेने का फैसला किया।

कार्रवाई: एनसीआरपीबी और उत्तर प्रदेश सरकार।

कार्यसूची मद संख्या 10 (एटीआर): वाईईआईडीए (YEIDA) से संबंधित मैटर

माननीय श्री सिद्दार्थ नाथ सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि वाई.ई.आई.डी.ए. (YEIDA), जेवर हवाई अड्डे और प्रस्तावित फिल्म सिटी के क्षेत्रों को आगामी क्षेत्रीय योजना-2041 में शामिल किया जाना चाहिए।

निर्णय: बोर्ड ने इस मामले पर चर्चा की और माननीय अध्यक्ष ने फैसला किया कि ये विवरण राज्य सरकार द्वारा भेजे जाएंगे और प्रस्तावित क्षेत्रीय योजना-2041 में शामिल किए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित क्षेत्रीय योजना-2041 में वाई.ई.आई.डी.ए. (YEIDA) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को मेट्रो केंद्र के रूप में माना जाएगा।

कार्रवाई: उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआरपीबी

कार्यसूची मद संख्या 3: क्षेत्रीय योजना-2041 (आरपी-2041) की तैयारी

बोर्ड सचिवालय द्वारा पिछली बोर्ड बैठक के बाद क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी के लिए किए गए कार्यों की जांच की गई। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा को दिसंबर, 2019 और जनवरी, 2020 में 17 पूर्ण-दिवसीय स्टेक होल्डर वर्कशॉप मे संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी गई। माननीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य ने अन्य राज्यों को भी हरियाणा से सीख लेने व क्षेत्रीय योजना-2041 की शुरुआत से ही परामर्श प्रक्रिया में वरिष्ठ स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।

राजस्थान के माननीय मंत्री ने सुझाव दिया कि भरतपुर और अलवर को स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि उनमें निवेश आकर्षित करने की क्षमता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ज़ोनिंग विनियमन को अंतिम रूप देने मे राज्य को छूट दिया जाना चाहिए।

(i) भरतपुर एक कृषि प्रधान जिला है, इसलिए इसमें कृषि गहन उद्योग स्थापित करने की क्षमता है। इसलिए, क्षेत्रीय योजना-2041 में, एनसीआर क्षेत्र के भरतपुर जिले में बड़े पैमाने पर कृषि प्रसंस्करण हब की स्थापना प्रस्तावित की जा सकती है।

(ii) क्षेत्रीय योजना -2041 में दिल्ली से राजस्थान उप-क्षेत्र में आर्थिक प्रशासनिक गतिविधियों की स्थापना के लिए नीति के बारे में प्रस्ताव। उन्होंने आरआरटीएस के माध्यम से राजस्थान उप-क्षेत्र और जयपुर सीएमए में उच्च गति कनेक्टिविटी की आवश्यकता व्यक्त की। सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एनसीआर में आरआरटीएस प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी और

आश्वासन दिया कि एनसीआर में कनेक्टिविटी पर पहले से ही ध्यान केंद्रित है, और परियोजनाओं के लिए शीघ्र भूमि की उपलब्धता के बारे में राज्यों से सहयोग मांगा। क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी के कार्यों के समन्वय और निगरानी के लिए कोर सलाहकार समिति के गठन के बारे में बोर्ड को अवगत कराया गया। यह बताया गया कि सीएसी के सदस्यों में एनसीआर राज्यों के नोडल प्रधान सचिवों के साथ-साथ एसपीए, एनआईयूए, टीईआरआई एआईसीटीई एनसीआरटीसी, स्वास्थ्य आदि के सदस्य शामिल है तथा सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी इसके अध्यक्ष हैं। यह भी बताया गया कि समिति अपने गठन के बाद से तीन बैठकें कर चुकी है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि सीएसी सहित विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी के विषय में चर्चा की गई। तदनुसार, मसौदा अध्यायों/दृष्टिकोण पत्रों को तैयार किया जा रहा है जो अब पूरे होने वाले है। आगे बताया गया कि एसपीए दिल्ली को मसौदा अध्यायों की समीक्षा का काम सौंपा गया है, और वे क्षेत्रीय योजना-2041 को अंतिम रूप देने तक 6 समीक्षा तक करेंगे। यह उल्लेख किया गया कि एक बार क्षेत्रीय योजना-2041 के मसौदा अध्याय तैयार हो जाएँ तो उन्हे समीक्षा के लिए सीएसी, एसपीए दिल्ली के समक्ष रखा जाएगा, राज्यों के साथ साझा किया जाएगा, योजना समिति के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद एनसीआरपीबी अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

माननीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय योजना-2041 एनसीआर क्षेत्र के परिवर्तन के लिए अगले 20 वर्षों के लिए योजना बनाने और अगले 20 वर्षों के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है।

निर्णय: कार्यसूची के प्रस्ताव पर सहमति हुई, कि एसपीए द्वारा मसौदा अध्यायों की समीक्षा के बाद, उन्हें कोर सलाहकार समिति (सीएसी) के समक्ष रखा जाए, जिसमें सभी चार राज्यों (विशेषज्ञों के अलावा) के सदस्य हैं; तत्पश्चात मसौदा अध्यायों को एनसीआर राज्यों के साथ साझा किया जाए और तदनुसार योजना समिति और बोर्ड के समक्ष रखा जाए। माननीय मंत्री और अध्यक्ष, एनसीआरपीबी ने यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रीय योजना-2041 के मसौदे के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है, जिसमें आदर्श रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी हो।

कार्यसूची मद संख्या 4: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का परिसीमन

जनवरी, 2020 में स्टेकहोल्डर्स वर्कशॉप ने दिखाया कि मसौदा रिपोर्ट में सुझाए गए विकल्पों के बारे में राज्यों में एकमत नही है।

निर्णय: सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एनसीआर परिसीमन पर अगले दो सप्ताह में राज्यों के साथ परामर्श कर बोर्ड के सामने वर्तमान स्थिति शीघ्रता से पेश करे। इस दौरान आगामी क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी के लिए एनसीआर क्षेत्र की वर्तमान सीमा के आधार पर किया जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या 5: पारस्परिक आम परिवहन सम्झौते की स्थिति

सदस्य सचिव ने आरसीटीए समझौतों, जिसने टैक्सियों, बसों, आदि के लिए परमिट के पारस्परिक काउंटर पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दशक पुराने तंत्र के माध्यम से एनसीआर राज्यों में निर्बाध यात्रा के लिए सुविधा बनाई थी, के विषय मे अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि ये आरसीटीए सम्झौते हाल ही में अप्रैल, 2021 तक बढ़ाए गए हैं, जब तक नए समझौते हस्ताक्षरित नही हो जाते।

अध्यक्ष ने यात्रियों की सहज और परेशानी मुक्त यात्रा की आवश्यकता और आकांक्षाओं पर जोर दिया। एनसीआर क्षेत्र बहुत बड़ा होता जा रहा था और मेट्रो संचालन और आगामी आरआरटीएस के कारण परिवहन परिदृश्य में बदलाव हुआ है। एनसीआर क्षेत्र में निर्बाध आंतरिक आवागमन होना चाहिए और परिवहन हब पर विचार करना चाहिए।

निर्णय: अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति परिवहन के सभी पहलुओं पर गौर करेगी। अगले एक महीने में सभी राज्यों के प्रधान सचिवों, परिवहन/परिवहन आयुक्तों की पहली बैठक बुलाएगा। समिति की रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 6: उप-क्षेत्रीय योजनाओं पर विचार

6.1: एनसीटी दिल्ली के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021

दिल्ली के लिए एस.आर.पी.-2021 की स्थिति के बारे में बोर्ड को अवगत कराया गया कि डीडीए ने योजना को जीएनसीटी दिल्ली को सौंप दिया है, अब जीएनसीटी- दिल्ली द्वारा अग्रेषित किया जाना है। अपर मुख्य सचिव, यू.डी., दिल्ली ने अवगत कराया कि डीडीए से मसौदा योजना हाल ही में प्राप्त हुई है और उन्हें इसकी समीक्षा के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।

निर्णय: जीएनसीटी-दिल्ली द्वारा दिल्ली के एसआरपी को एक महीने के भीतर भेजा जाएगा, जो कि उपयुक्त समझे गए परिवर्तनों के साथ होगा, ताकि बोर्ड के विचार हेतु अगली बोर्ड बैठक के लिए समय पर प्रसंस्करण सक्षम हो सके।

कार्रवाई: जीएनसीटी- दिल्ली

6.2: उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अतिरिक्त जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021

बोर्ड को अवगत कराया गया कि उ. प्र. सरकार ने 03.10.2020 को टिप्पणियों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना का एक मसौदा एनसीआरपीबी भेजा था और एनसीआरपीबी को अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।

निर्णय: एनसीआरपीबी दो सप्ताह के भीतर उ. प्र. उप-क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना 2021 पर अपनी टिप्पणी दे सकता है। इसके बाद उ.प्र. एक महीने के भीतर अपनी अंतिम उप-क्षेत्रीय योजना जमा करे। इस मामले को अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्रवाई: एनसीआरपीबी/ उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यसूची मद संख्या 7: जनसंख्या घनत्व पर नोटिस की स्थिति

बोर्ड ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर राज्यों द्वारा जनसंख्या घनत्व पर नोटिस वापस लेने के अनुरोध के कारणों, औचित्य, कार्रवाई और संबंधित उत्तरों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री, हरियाणा ने उल्लेख किया कि एनसीआरपीबी भविष्य में इस तरह के किसी भी आवश्यक मामले में नोटिस के बजाय सलाह जारी करने पर विचार कर सकता है।

निर्णय: बोर्ड ने नोट किया कि क्षेत्रीय योजना में दिए गए घनत्व मानदंड सांकेतिक हैं। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने हरियाणा, राजस्थान और उ.प्र. के उत्तरों को स्वीकार करने का निर्णय लिया और बोर्ड सचिवालय को नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया। राज्यों को भविष्य की विस्तृत योजनाओं में बढ़ती जनसंख्या घनत्व के लिए इन रणनीतियों को सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई।

कार्रवाई: एनसीआरपीबी/हरियाणा, राजस्थान और उ.प्र. सरकार

कार्यसूची मद संख्या 8: प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र पर नोटिस की स्थिति

8.1 उत्तर प्रदेश सरकार को जारी नोटिस

पिछले बोर्ड की बैठक में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के आंकड़ों पर विचार कर बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया। यह भी बताया गया कि पिछली बोर्ड बैठक में उ.प्र. द्वारा दिया गया प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र उ.प्र. सरकार द्वारा मानचित्र पर विस्तारित किया गया है।

निर्णय: बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस संबंध में उ.प्र. को जारी नोटिस वापस लिया जाए।

कार्रवाई: एनसीआरपीबी

8.2 एनसीटी-दिल्ली सरकार को जारी नोटिस

यह कार्यसूची मद स्थगित कर दिया गया और उप-क्षेत्रीय योजना के अनुपालन के लिए एक महीने का समय एनसीटी-दिल्ली सरकार को दिया गया।

कार्रवाई: एनसीटी दिल्ली सरकार

8.3 हरियाणा सरकार को जारी नोटिस

इस कार्यसूची मद संख्या 5.1 (एटीआर) पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और निर्णय उस बिंदु पर दर्ज किया गया है।

निर्णय: कार्यसूची मद संख्या 5.1 (एटीआर) पर निर्णय के अनुसार।

कार्रवाई: हरियाणा सरकार

8.4 राजस्थान सरकार को जारी नोटिस

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि अलवर के लिए प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र नोटिस का जवाब, और भरतपुर के प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र प्रस्तावों को हाल ही (01-10-2020 और बाद) में बोर्ड को भेजा गया है। प्रारंभिक परीक्षण से पता चलता है कि बृहद विवरण की आवश्यकता हो सकती है।

निर्णय: अंतिम विवरण और उत्तर राजस्थान सरकार द्वारा अगले एक महीने के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए जिससे उन पर अगली बैठक में विचार हो सके।

कार्रवाई: राजस्थान सरकार

कार्यसूची मद संख्या 9: पिछली बैठक में माननीय अध्यक्ष, एनसीआरपीबी के मार्गदर्शन के अनुसार चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु।

बोर्ड ने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यसूची मदो पर भी चर्चा की।

9.1 दिल्ली में स्वच्छ यमुना नदी के पानी के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए कदम

सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण के मामले को पहले से ही देखा जा रहा है और एनजीटी द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया है। इसलिए, यह मामला यहां छोड़ा जा सकता है।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने सुझाव दिया कि राज्य RTP / CTP / STP / WTP आदि जैसी परियोजनाएँ तैयार कर सकते हैं। इस पर सहमति बनी कि एनसीआर में स्वच्छ जल आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनसीआरपीबी इन परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकता है।

9.2 एनसीआर में जल संरक्षण

एनसीआर में पानी की निकासी की उच्च दर और भूजल स्तर के घटने पर चिंता जताई गई। एनसीआर में जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

निर्णय: अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अगले एक महीने में सभी चार एनसीआर राज्यों और जल क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर एनसीआर के लिए एक जल संतुलन योजना तैयार करे। यह रिपोर्ट भूजल रिचार्जिंग और पानी के पुनर्चक्रण आदि के बारे में भी उपायों का प्रस्ताव करेगी।

9.3 एनसीआर में सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर

सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी द्वारा इस विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, प्रतिभागियों द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई।

निर्णय: कार्यसूची मद संख्या 5 में अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति एनसीआर में सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर के सभी पहलुओं पर गौर करेगी और ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कार्रवाई बिंदुओं का सुझाव देगी। समिति की रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 10: वैधानिक प्रावधानों से संबंधित मदों की स्वीकृति

कार्यसूची मद संख्या 10.1: वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित / गैर-परीक्षित वार्षिक लेखे।

निर्णय: बोर्ड ने कार्यसूची के अंतर्गत प्रस्तुत स्थिति का उल्लेख किया और बोर्ड सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक खातों को मंजूरी दी। बोर्ड ने 2019-20 के वार्षिक खातों की स्थिति नोट की।

कार्यसूची मद संख्या 10.2: एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 47 (1) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा वितरित अग्रिम/बकाया ऋणों का वार्षिक विवरण।

हरियाणा और उ.प्र. ने कहा कि एनसीआरपीबी ऋण सस्ता हो सकता है और ऋण के लिए 133% की बैंक गारंटी अधिक है। दिल्ली सरकार ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए केंद्र सरकार को गारंटी देने पर विचार करना चाहिए।

उन्हें सूचित किया गया कि वे बैंक गारंटी दे सकते हैं। इस मामले पर चर्चा की गई और बोर्ड के माननीय अध्यक्ष ने बताया कि एनसीआरपीबी के पास स्वयं का धन नहीं हैं और ऋण देने के लिए बाजार से उधार लिया जाता है। उन्होंने सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दें और ब्याज दरों में और कमी लाने की जांच करें। यह स्पष्ट किया गया कि बैंक गारंटी केवल राज्य गारंटी के अभाव में आवश्यक है। इसके अलावा माननीय मंत्री ने राज्यों को आश्वासन दिया कि ऋण स्वीकृत करने में आसान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

निर्णय: कार्यसूची मद में निहित जानकारी नोट की गई और बोर्ड ने ब्याज दरों की जांच करने और अगली बैठक में प्रस्ताव के साथ आने का निर्देश दिया।

कार्यसूची मद संख्या 10.3: एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 47 (2) के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त बकाया ऋणों / अग्रिमों का वार्षिक विवरण।

निर्णय: कार्यसूची मद में निहित जानकारी नोट की गई।

कार्यसूची मद संख्या 10.4: एनसीआरपीबी नियम, 1985 के नियम 29 के अनुसार "राजस्व और पूंजी" के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान व वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानों को मंजूरी।

निर्णय: बोर्ड ने स्थिति का उल्लेख किया और वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानों और वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों को पूंजी और राजस्व प्रमुखों के अंतर्गत मंजूरी दी जैसा कि बोर्ड के समक्ष रखे गए। इसके अलावा, बोर्ड ने सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी को बांड, वाणिज्यिक

पत्र और/या बहुपक्षीय और द्वि-पार्श्व सहायता एजेंसियों से उधार ले के संसाधन जुटाने हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी को इस संबंध में आवश्यक विभिन्न अनुमोदन/औपचारिकताओं के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत किया गया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद संख्या 11: एनसीआरपीबी ऋणों पर प्रतिबद्धताओं का प्रभार।

निर्णय: बोर्ड ने ऋण मंज़ूरी के पश्चात, किस्त के अनुसार, गैर-आहरण तथा देर से आहरण पर प्रति वर्ष 0.05% शुल्क लगाने की मंजूरी दी। प्रतिबद्धता शुल्क केवल ऋण स्वीकृति के बाद लगाया जाएगा और सड़क परियोजनाओं के मामले में मंजूरी के आदेश के अनुसार किस्त की देय तिथि से छह महीने के बाद और अन्य मामलों में उसी के एक वर्ष के बाद लगाया जाएगा।

माननीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि एनसीआरपीबी को सहकारी संघवाद का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने सर्दियां में ठूंठ जलाने के मामले पर राज्यों का ध्यान आकर्षित किया। माननीय सभापति ने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि एनसीआर क्षेत्र-2031 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनने के लिए टोक्यो से आगे निकल जाएगा, क्षेत्रीय योजना 2041 भविष्य के भारत के परिवर्तन की योजना बनाने और परिवर्तनकारी रणनीति तैयार करने का एक अनूठा अवसर होगा। उन्होंने क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी की इस कवायद में सभी राज्य सरकारों की उत्साही भागीदारी की मांग की। इसके बाद, उन्होंने सभी सदस्यों, आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

अनुबंध-I

प्रतिभागियों की सूची

अध्यक्ष	
1	श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवासन और शहरी कार्य मत्रालय भारत सरकार और अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सदस्य	
2.	श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा
3.	श्री शांति कुमार धारीवाल, माननीय शहरी विकास व आवास मंत्री, राजस्थान सरकार, प्रतिनिधि, राजस्थान के मुख्यमंत्री
4.	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, माननीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्राम उद्योग उ .प्र.- उ .प्र.मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि
5.	श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी एनसीटीदिल्ली सरकार-
6	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
7	श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव, दिल्ली
8	श्री विजय वर्धन, मुख्य सचिव, हरियाणा
9	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली
10	श्री भास्कर ए सावंत, प्रमुख सचिव, शहरी विकास एवं आवास, राजस्थान - प्रतिनिधि मुख्य सचिव, राजस्थान
11	श्री अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मंत्रालय -प्रतिनिधि सेक्रेटरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ मंत्रालय
12	श्री के मकरंद पांडुरंग, महानिदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा सरकार - प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार
13	श्री ए.के. मिश्रा, निदेशक, एमटीपी, रेलवे बोर्ड- प्रतिनिधि अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

14	श्री संजय कुमार, महानिदेशक वन और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली-प्रतिनिधि सचिव, एमओईएफ और सीसी
15	श्री उदित रत्न, मुख्य नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली
अन्य	
16	श्री कामरान रिज़वी, अतिरिक्त सचिव (डी एंड यूटी), आवासन एवं शहरी कार्य मत्रालय, भारत सरकार
17	श्रीमती रेनू शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूडी), स्थानीय निकाय के निदेशक (डीएलबी), दिल्ली
18	श्री एस.एन. रॉय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा
19	श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवासन और शहरी नियोजन विभाग, उ .प्र.सरकार
20	श्री राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव, सीएम हरियाणा
21	श्री प्रभात कुमार सारंगी, आयुक्त, एनसीआर, उ.प्र.
22	श्री राजेश प्रकाश, अपर आयुक्त, एनसीआर योजना और मॉनिटरिंग सेल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, उ .प्र.सरकार
23	श्री जे.पी. सिहाग, मुख्य समन्वयक नियोजक, एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ, हरियाणा सरकार
24	श्री विनय दलेला, मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), नगर और ग्राम नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार
25	श्री एस सी गौर, मुख्य समन्वयक नियोजक, एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, उ .प्र.सरकार
26	श्री कृष्ण मोहन, आर्किटेक्ट प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार - प्रतिनिधि मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, उ .प्र.सरकार